Insurance (Amdt.) 252 Bill, 1989—Passed

[Shri B. K. Gadhvi] English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the Government of Kamataka for the Year 1989-90. [Placed in Library. See No. L.T. 3085-

Employee & State

EMPLLOYEES' STATE INSURANCE (AMENDMENT) BILL, 1989—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN . (SHRI MIRZA IRSHAD BAIG): Mr. Dipen Ghosh.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal); Mr. Vice-Chairman, first of all, let ms eonvey my thank and congratulation to you because, after yoftr becoming a Vice-Chairman on the panel, this is my maiden speech. This is my maiden speech during your Vice-Chairman and so, I think I would not be disturbed.

SHRI RAOOF VALIULLAH (Gujarat): So, if he asks for five minutes, give him ten

SHRI DIPEN GHOSH.- This is my maiden speech, while he is in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHAD BAIG): You were not here.

SHRI DIPEN GHOSH: I was here but I had no oppportunity to speak when, you were in the Chair.

Mr. Vice-Chairman, 'while resuming my suggestion about referring the Bill to a Select Committee, I would like ro point out one more thing. Actually, the Ministry of Labour had taken Seven Years to consider the recommendations made by the Committee which was set up in 1981 and which submitted its reports in 1982. Earlier to that Committee there was another Committee which was set up in 1975 and which submitted its reports in 1978. Between 1978 and 1981 the Government had considered the recommenda-tions but brought certain amendments though those amendments were not comprehensive. In the meantime the Government set up another committee, and that committee submitted its report

in 1982. Seven years have elapsed. It may be seven years each. However, in these 7 years they have been considering these recommendations and they have brought an amending Bill. The Bill itself .contains certain good suggestions, good proposals, for amending the major Act. But at the-same time, the Bill suffers from certain serious flaws, some' retrograde suggestion* ^nd therefore, I think this should be referred to a Select Committee—even a Select Committee of Rajya sabha, because . the Lok Sabha election is round the corner. A Rajya Sabha Select Committee can have an m depth study and make its report by the next session. In that case the Members of Parliament will have the opportunity to go deeper into the issue and make their suggestions, because the Employees' State insurance Scheme is a very important social security scheme.-While giving benefits to the workers in the organised sector and non-seasonal workers, since the Act was passed, our people and the working class have undergone a sofrt of experience which is not very happy in general, because if you go to any worker's quarter if you go to any factory area, if you talk to any individual' worker and group of workers or their associations or unions, you 'will find how critical they are of the managing of this scheme. There are two aspects. One is controlled by the Central Government and the other medical scheme is controlled by the State Governments. There fire contributions made 'by employers and the workers for the maintenance and running of the scheme. State Governments also incur expenditure an_fj pay something". But the Central Governmnent does not pay anything to the fund for the benefits under this scheme to the workers. But the Central Goveram is managing. The Central Government is controlling. The Central Government is suggesting certain amendment to the Act but the Central Government pays nothing for the benefits to be extended to the workers under this Act.

So, this position needs to be rectified. The Centre's involvement in financing

Secondly

this beneficial scheme is most important. No amendment or no suggestion has been made in this amending Bill.. making it obligatory on the part oi the Centre to be involved in financial obligations, in making financial'commitments in rendering these benefit to the workers.

the'ESI Corporation-what is it? Is it an autonomous body or is it a Government department? By going through the Act, by going through the amending Bill and by going through the ' way the ESI. corporation functions, Mr. Vice-Chairman, Sir, you will find it is neither an autonomous body in the truest sense nor a Government depart ment.. But the whole purpose and ob ject of the Act was to constitute an autonomous organisation, an autonom ous body represented by the employers, the employees, the Central Government and the State Governments within the framework of. the Act anj with' the subordinate legislation power given' the authority of the ESI corporation, the ESI corporation is .supposed to run as an autonomous body. But we .have seen that in every aspect there is a re-· mote control system—the remote con trol system run by the Labour Minis frcm the Shram Shakti Bhavan which intervenes and interferes the functioning of the ESI corporation with every aspect. I do not have that much of time. However, if you go through the amending BiH, in certain case tie that mere-powers hav.e e given to ihe eo; beer ration, bul generally the tendency is to keep powers with the Central Government and to take advantage of those powers for interfering with the autonomous activities of • this corporation. Thirdly, the ESI corporation functions through the regional directorates and the sub-regional office* arid because the beneficiaries are at the grass-root level, the functioning of the corporation in the matter of giving benefits is done more by the regional offices and the sub-regional offices. But so far as powers of the sub-regional or the re-

gional offices are concerned, you will see that the regional bodies ape merely the implementing authorities of the Central authority. The regional bodies need to be given more powers. The. power' should also be decentralised to the sub-regional offices. i;n this amending BiH, generally speaking, ho care' has been taken to see that the regional bodies of the ESI corporation are given more powers and the sub-regional offices are also given the right to. exercise certain powers.

Fourthly, I should-forward the Government that there is an attempt to take away the management of the medical scheme from the States to the Centre. It is true that there is some mismanagement of the medicai scheme at the Statg level but at the same time, without taking steps to rectify those irregularities or flaws or without taking steps to improve the functioning of the medical scheme, if it is considered that shifting the running of tne medical scheme from the States to the Centre will be a panacea, then I should say that it is wrong. It will be wrong on the one hand and on the other, it will cause inroads into the powers of the State Governments. "When this question relating to Centre-State relationship came to the fore on various Occasions in respect of various problems, a Commission, the Sarkaria sion, was set up. Its report is still under study. Then no step should be taken wh ether in the case ofthe ESI Corporation or in any other matter ould cause further inroads in-P'>wers of the States.

Now, Sir. I would 1ii int out *s about the proposed certain r Amendment Bill, clause by clause. It od that there has been «m attempt to extend the coverage, of the provisions of this Act. And it has now been proposed to make the Act applicable simultaneously to factories and other establishments where that is applicable in a State to such factories and other establishments in any other parts of the State. But, Sir, as you know, in

[Shri Dipen Ghosh]

the Bill itself it has been sought to be inserted in clause 2.

"Provided that nothing contained in this subsection shall apply to a factory or establishment belonging -to or under the control of the Government whose employees are otherwise in receipt of benefits substantially similar or superior to the benefits provided under this Act." Who will decide whether the benefits rendered by certain other government or government organisations or public sector undertakings are similar or superior to the benefit^ under this Act? But, in a general term, the applicability oi this Act has been sought to be restricted to certain seasonal workers of certain factories or industries or establishments. But there are unorganised workers. If it is a social security scheme, for. whom is the social security scheme more necessary? Tatas and Birlas, on their own, can provide certain social security schemes to their workers. A social security scheme like the ESI is all the more necessary in tha case of casual workers, contingent workers and work-charge workers in unorganised sector. So, "though in the Amending Bill some steps have been suggested to extend the coverage of the scheme in respect of unorganised workers, organised workers in the scattered industries anci in respect of casual contract labour, work-charge labour-even, though I do not call them seasonal—there is no provision, AS regards eligibility condition, Mr. Vice-Chairman, previously, thirteen weeks' work and one day's work in a week was considered as a week for the purpose of eligibility clause. By a previous amendment it was changed and, instead of weeks, now it is calculated in, terms of days and afte, 91 to 92 days' work he will become eligible. That is the present position, lh that case, what does this "01 to 92 days" mean? As you know, in the case of casual workers or contingent workers in order that the ESI or Provident Fun<i oi" other benefits are not required to be extender or given PS soon as a

workers works for 90 days, h_e is put off for two or thre_e days and the:: he is re-ei.iployed. Now, a proposal has been mad_e with regard to th_e period and conditions of grant of benefits, But what is the proposal? "Aay change in these provisions requires the amendment of the Act which usually takes time." This is the Minister's statement. He has said:

"It is, therefore, now proposed to provide fo_r prescribing all these matters in the rules."

As regards the ceiling, the wage ceiling for coverage, rates of contribution, period and condition of grant of benefits, wage limit for exemption for employees' share, all these are governed by the specific provisions of the Act and any change in these provisions would require an amendment of the Act. Therefore, he has said that it is now proposed to provide for prescribing all these matters in the rules. Prior to the previous amendment, calculation was done according ta weeks and one day's \vork in one week was con-•i week's work for the purpose of eligibility. But by . the previous amendment, it was made in terms of and it was made on the basis of 91 to 92 days thereby giving an opportunity or handle to the employer to employ a casual labourer for 90 days and then to put him off for one day and then again re-employ him so that he is denied the benefits of the ESI, Now when such a voluminous amending Bill has been brought forward, it is being said that These provisions are to be amended which takes time and, therefore, the authority or the power to make subordinate legislation is being given to the Government and they will make the rules. But what prevents the Government first from changing the Act taking advantage of this amending Bill? The Government could have taken advantage of this amending Bill to propose a better calculation method and then give further powers of subordinate legislation to the corporation- to make rules. That has not been done and it is being left to the

Government, If the Government makes any rule, it is so much so good. But, if the Government makes any retrograde rule, what is to De done? So instead of taking advantage of this amending BiH, suggesting certain amendments to the provisions of Act for the benefit of the workers and then giving the Government powers of subordinate legislation to make rules straight away the powers are being sought to be given to the Government to make rules without making any provision, compulsory or obligatory provision, on the Government. So, what type of rules will they make? Similarly, there is the question of ceiling Time bell rings).. I will not take much time. Only three or four points I have to make.

With regard to the ceiling Rs. 1,600 is the limit. When there was this limit, sixteen hundred rupees as pay, it has already been increased to two thousand five hundred rupees even in the case of the Bonus Act. Now, it is said that since this is also a provision of this Act, changing this provision takes time! So now the Government is being given the power to make rules. But, in order to give these powers to the Government to make rules. You have brought an amending Bill, and in that amending Bill itself you could take care of it for the moment and then give the powers to the Government. What was the difficulty? What prevents you from suggesting the increase in the ceiling up to two thousand and five hundred rupees and then, by a sub-clause, if you thought it necessary, you can say that the Government might consider and make rules? So. Mr. VL-e-Chairman Sir, I think that here an amending Bill has been brought forward to amend the Act for giving powers to the Government to make rules as regards wage ceiling, grant of benefit, etc. on the plea that these are provisions the amending of which is time-consuming, and they have not taken advantage of this Bill to suggest certain measures whereby some more benefits could he given to the workers.

529 RS-9

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG): Is it not decen-tralisation?

SHR1 DIPEN GHOSH; Sir, the other day



THE VIOE-CHAIIRMAN (SHRl last, Sir, our Minister, Mr. Krishna Kumar intervened and spoke on this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG): Please conclude now.

SHRI DIPEN GHOSH. He spoke on this and regarding the cashew workers, he promised—1 think on your behalf, Mr. Minister—to the cashew workers that by the 15th of August, the implementation of this amending Bill, if possible would be announced.

SHRI BINDESHWARI DUBEY. He did not speak on behalf of the Government. He spoke as a Member, as a Member from Ouilon.

SHR1 DIPEN GHOSH; H_e has stated like this and I quote:

"It is as the Member of Parliament from Quilon that I have taken the liberty of announcing that before the 15th of August possibly, the Government of India will not only be able to get this Bill passed in both the Houses, but also to promulgate the administrative scheme so that in this season itself the revised wage period criteria will be available to the cashew workers of Kerala so that in this period itself, 45 days or whatever is the period that is fixed by the Government, those who satisfy the criteria will be entitled to the full ESI benefits, etc. etc. ... "

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG)!: Still fifteen days are there Mr Ghosh.

· SHRI DIPEN GHOSH: Do you be-lieve that it will be possible?

Employee & State

SHRI BINDESHWARI DUBEY:, Can that be treated as a commitment by the Government?

SHRI DIPEN GHOSH: I think in this amending Bill itself some more amendments could be proposed extend-the ceiling, lowering the period of eligibility etc. and then giving the powers to the Government for making the rules. This is my criticism. I am going to conclude now. Our other leaders are there and they will point at other things.

3.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG); Can you pass ori your suggestions to others?

SHRI DIPEN GHOSH: The amending Bill in clause 25 for section 63 of the principal Act says:

"For section 63 of the principal Act, the following section shall be subsituted, namely:-

'Save as may be 'rovided by the regulations, no person shall be entitled to sickness benefit or disablement benefit for temporary disablement on any day on which he works or remains on leave or on a holiday in respect of which he receives wages or, on any day on which he remain on strike'."

The principal clause says:

"No person shall be entitled'to sickness benefit or maternity benefit oi disablement benefit for a temporary disablement in respect of any day on which -he works or receives wages."

The addition that has been sought to be is

"...remains on leave or on a holiday in respect of which he

receives wages or on any day of which he remains on strike."

What is the idea behind this clause? This benefit will be given only to those v persons for those days for which they will not receive any wage. If he re-ves wages on a holiday, if he receives v/ages for leave, then such benefit will not be given. Here it is presumed that strike has been sought to be included, that if there is a strike they will get wage. Is it that presumption? You are a labour leader. You are a champion of the labour. You have had the history of organizing a number o¹ strikes and also asking for wage for the strike period and getting wage back in the strike period.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG); Now please conclude. More than half an hou, you have taken.

SHRI DIPEN GHOSH; I will take two minutes more.

Naturally I think it is wrong to presume that the w^{or}k^{er}s will have to go in for strike action, whether it is legal or illegal, with wage. The High Court has passed orders for giving wage back during the strike period. There are so many High Court orders for that.

Lastly, Mr. Vice-Chairman, about the ESI Corporation employees themselves. Here certain provisions have been sought. The Director-General has been given certain powers. About their wages and salaries they have stated that only after the prior approval of the Central Government they can do so though it is supposed to be an autonomous body. I would like to draw your attention to only one point.

Some powers have been sought to be given relating to the setting up of machinery for taking offending employers to task, etc. etc.

262

Ka the Financial Memorandum of this amending Bill it has been suggested-1

"All these officers will have to be provided with suitable supporting staff like Inspectors, personal Assistants, Upper Division Clerks, Lower Division Clerks ----- The total posts required including those of officers will be about 142."

In order to exercise the powers sought to be given to the ESI Corporation under this amending Bill it requires 142 people. Ther, it is said:

"The entire staff requirement of the proposed recovery machinery will be provided by suitable redeployment of the existing staff. There would not therefore be any additional expenditure on staff."

Does it indicate that they are going to declare some employees of the ESI Corporation as surplus in order to redeploy them for this new work which Will be assigned to the E.S.I Corporation? There has already been a cadre restructure in the E.S.I Corporation in 1987. After this Amending Bill becomes a law, certain new work will he assigned to the Corporation. 142 people Will be required for various categories of jobs. In the Financial Memorandum it is being stated that no extra ex-pendiiture will be incurred on account of these 142 people because they will be shifted to the new job after redeployment. It means that they will be declared surplus in other areas and they will be taken away. I am opposed to it. You are going to give some powers to the E.S.I. Corporation. In order to exercise those powers, they will rehire officers and men- Tne ' Central Government must Incur certain expenditure on these officers and men and allow more recruitment and promotions of the existing employees. Without doing that, you cannot ask the E.S.I. Corporation to discharge their new responsibilities.

VALIULLAH: SHRI RAOOF Mr. Vice-Chairman, Sir. I rise to support

the Employees' State Insurance (Amendment) Bill. 1989 mainly because it is one of the most progressive legislations which have come in this House. I also oppose Mr. Dipen Ghosh's suggestion that it should be referred to a Select Committee of this House Or to a Joint Select Committee. The legislation which is on the Statute Book today is full of shortcomings. I would narrate as to what the loopholes in the existing Art a'<\ My suggestion is that the Consultative Commiltee of the Ministry of Labour could constitute a Working Group from amongst its Members as they did for Rural Labour under the chairmanship cf our colleague, Mr. Gurudas Das Gupta. Then they could come out with more effective suggestions that eould be incorporated in this Act. But the Bill, as it stands today, deserves to be considered and possed.

Sir, the Statement of Objects and Reasons is very elaborate and clear. The Bill is an outcome of the recommendations of the two committees, however long they might have taken: The first committee was set up in 1975. That was a committee of the Corporation itself and it submitted its report in 1978. The second committee was a committee of the Ministry of Labour which was set up in 1981 and that committee submitted its report in 1982. I would certainly question the Government as to why such a long time was taken to incorporate their recommenda-tions in this Bill. Therefore there is a good reason to say that the recommendations of these two committees were kept in abeyance and later on some of the recommendations were incorporated and some are not incorprated even now. Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to what are the recommendations that have been accepted and what qre the recommendations that have not still beeD accepted. Could you enlighten us on this aspect?

. Sir, annually, the Conferences of State Labour Ministers have always

[Shri Raoof Valiullah]

263

pointer out to the worsening state of affairs of the Employees' state Insurance Scheme. They have been agitating that they should be either Government Department fully or an autonomous Corporation. I would like to know why these recommendations of the State Labour Ministers' Conference have not been accepted by the Labour Ministry.

Secondly, Sir, there was a recent Government review of the Scheme, and that Review revealed the durability in the administration of the medical services and the shortage of doctors and drugs, i would also like to know from the hon. Minister whether such a review was undertaken by your Department or your Ministry aud if that was so why is the Government not taking a decision to make this scheme effective and really in the interest of the workers. Sir, that Review also pointed out that there was a shortage of specialists there was even a shortage of ambulances, and there was delay in the extension of the Scheme. Sir. the Directors in-charge of the medical side are employees of the State Governments. And there has been a complaint, rather an allegation that these doctors indulge in false certification thereby causing great loss to the Corporation. If that is so, what is the Government doing? And I would like to know whether by bringing such a comprehensive piece of legislation why these practical things could not be taken into consideration

Sir, another thing is what Mr. Maheswarappa pointed out on Friday. Sir, it has been brought out by experts that the loopholes in the ESI Scheme. i_n the Factories Act and in the Workmen's Compensation Act were responsible for widespread occupational diseases. Sir, the other day, the hon. Member pointed out' several occupational diseases. Sir, there was a high-level conference, organised in Delhi where experts pointed out what

these occupational diseases were. Has the Government taken that into consideration? And if so, what have they done? Sir, under the Factories Act, some 34 specific occupational diseases have been pointed out, rather identified. But still these things do not find a place anywhere. Iherefore, I would like to know from the hon. Minister as to what concrete steps his Ministry is taking to incorporate 'jisa-vis the Em-: ployees State insurance Act. Sir some of the measures wer, "pointed out by the Seminar. They had givea their recommendations, and Speaker after Speaker pointed out some remedial measures. Some of them were to identify the nature of occupational diseases in Indian industries. The second was the development of systems to combat those diseases and the trainingparticularly i am emphasising this aspect^-of ESI doctors to combat these diseases. 1 want to kno^ whether such a training programme i has been set up whether such a training programme has been evolved so that the ESI doctors can also be fully equipped to combat these occupational diseases. I would like to know from the hon. Minister whether such a training programme has been evolved, and if at all there is such a training programme, whether our ES) doctors are fully competent to combat these occupational diseases.

Sir, m_v hon. colleague, Shri Dipen Ghosh mentioned about casual labour. I would like to point out to the hon. Minister a recent judgment of the Supreme Court in which the definition of 'employees' under the Act was given a very wide meaning, sir, the Supreme Court judgment stated that the employees who work outside the business premises but whose duties were connected with the business were also employees within the meaning of section 2, sub-section (9)(i) of the Act. Now in view of this, there was a writ petition by the owners of a Band group, some Jiyaji Band group in Delh; and the Supreme Court gave a very sound and a very good judgment

that the casual labour, the casual employees, though they may be seasonal, though they my be casual, were also employees as defined in section 2 of the .Act. i would like to know from the hon. Minister whether in dealing with this casual labour and seasonal labour, whether the provisions of the Act are fully competent to safeguard the interests of those casual labourers. I would like to know from the hon. Minister a categorical reply whether such contingencies are also taken care • of under this

Sir, about the coverage that Mr. Dipen Ghosh was talking about today only 580 industrial centres and a couple of lakh employees are covered but with the addition of this seasonal and casual workers the coverage Would go far beyond what has taren stated. Has this contingency also been taken, into account by the Labour Ministry, I would like to know from the hon. Minister.

Sir, the state of affairs and the maladministration in the ESi Scheme is something for which the Labour Ministry has to account for Sir, last year a survey was undertaken by the Times of India, Ahmedabad Edilion, abnut what is happening with this ESIS. In Ahmedabad city (!0\01n workers marched to the ESi Corporation and submitted voluntarily their cards. They wanted to opt out of this scheme. If this is the state cf affairs I think the h- "inistry and the Labour Ministry h .J thin twice and see how effectively the scheme is implemented.

Sir, the situation in the rural areas Is even worse. Even after 25 years of its existenec, the ESI directorate is yet to introduce mobile dispensaries which would cater to workers, to employees, in the rural sector. My charge is that this Corporation and this Scheme is basically meant for urban employees. Nothing is being done in the rural areas. I would like to know from the hon. Minister what is has reaction on this point. whether the coverage would be extensive in the

rural areas also and whether mobile dispensaries by the ESIS would be provided.

Sir, the fundamental question in the operation of this Scheme is that the workers for whom the scheme works, have no voice in the running of the Corporation or of the scheme. Sir, ihe recent Bill suggests that the advisory boards will be in charge and there will be four to five workers' representatives included. But, Sir, actually the workers have no say in the functioning or working of the Corporation. Sir, in an article recently published the nomenclature of the 'State Employees Insurance Scheme' was substituted for Employees State Insurance Scheme'. It is known as Employees State Insurance Scheme and it was termed as 'State Employees Insurance Scheme' because it is functioning under the State. And, the therefore, if this is the condition of the employees. I think it is high time that the Labour Ministry would work further on the recommendations of those two committees and on the experience of the employees, particularly in the urban areas, and also the rural areas, and make it more effective

I would like to mention one or two things about the actual sections which, to my mind. are anti-labour and anti-worker. As pointed out by Mr. Dipen Ghosh. I want to reiterate about section 63. The original section 63 is to be substituted by the new section, and I feel the provision whbh says :"....beneflt for temporary disablement on any day on which he works or remains on leave or on a holiday in respect of which he receives wages or op any day on which he remains on strike", is anti-worker and anti-labour. T certainly do not subscribe to this view. Strike is a legitimate right of a worker and to include strike in this new section, to my mind, is anti-worker and anti-labour.

You now see section 86A. You would find that the new Bill has become so liberal with respect to the employers when it says: "....If he proves that

[Shri Raoof Valiullah]

knowledge Or that he exercised all due बिल से फ बदा ह सिक होंना च हिए diligence to prevent the commission of such या, जिस तर के से, बह पायदा ह सिव offence" he is pardoned. Why should the नहीं ही पाया । इससे पहले भी कहा employer be pardoned? Even if the act was का चुका है कि ई ्स आई क committed without his knowledge, he is एडिमिनिट्रेशन था वह न तो दिना responsible. On the one hand you are being being being to the employers, and on the other hand, you are going against the interest of the T

interest of the workers. I feel if the Bill is ग्रहल इंदारा बन सकता था। लिहाजा meant for the workers and employees, it करीब 40-42 साल के बाद आज इस should be totally for the workers and the employees and not take sides against the labour and in favour of employers.

With these words, I thank you for the opportunity given to me.

श्री मोहम्मव खलीलर रहमान (श्रान्ध्र प्रदेश): जनाव वाइस चेयरमन साहब, सबसे पहले में आपको मुबारकबाद पेश ज़रता हं और फिर में अपने लिए बाइसे-फ़बा समझता हं कि पहली दका मझी धापकी वाइस चेयरमैनशिप मे बोलने का इतिफाक हका है। जहां तक इम्प्ला-योज स्टेट इंग्योरेंस विल का सवाल है, में यह अर्ज करूंग। कि 1948 में यह बिल पास किया गा, फिर कोई 15 साल तक इसको मजीद इल्तवः में रखा गया ग्रीर फिर इस विल का इण्लीमेंटेशन ग्रामल में ब्राया। इस बिल के जरिये एक ई०एस०ग्राई० कारपेरियन बनाया गया ग्रीर ई० एस० ग्राई० कारपोरेशन को इसकी जिन्मेदारी सीपी गयी कि जितना भी इसका इम्प्लीमेटेशन है वह इस कारपोरेशन के जरिये हों। मगर मझे यह कहते हए इंतहाई अफसोस होता है कि जिस तारीख से इस बिल का निफाज ग्रमल में ग्राया उस तारीख से सही माःनों में और जिस अगराज और मक सिव के तहत यह ई०एस०आई० कारपोरेशन कायम किया गया और यह बिल पास किया गया उस अगराज मरु सिब की तरुमील नहीं हो सकी और इंतिहाई गैं। इत्योनान बर्म तरीके

से उसका िफाज ध्रमल में क्राया। the offence was committed without his मुला जिमान की, इस्टल याज की जो इस ग्रीर न ही मेंट डिपार्टमेंट था । जब इस किस्म का उसमें कल्य जन था तो जाहिर है कि ई. एस. These two sections are totally against the आई. कारपोरेशन विस तरह से एक मगर यहां पर भी मुझे यह कहते हुए ग्रफसोस होता है कि जिन प्रोग्नेसिव झंदाज में इसका अमेंडमेंट होना चाहिए था, उस तरीके से इसका अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। हालांकि कोई 40-42 सालों के बाद इस किस्म का अमेंडमेंट लाया गया है, इस वजह से अभी हमारे कोलीग, दीपेन घोप साहब की जानिब से ग्राज यह तजवीज रखी गई है कि इस बिल को एक जायंट सिलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाए, ताकि उस जायंट सिलेक्ट कमेटी में बेहतर से बेहतर अंदाज में इस बिल पर गौरोखोज किया जा सके श्रीर फिर उसकी जो भी तजा-बीज होंगी, वह हाउस में आयेगी, तों हाऊस में इस पर कनसीडर करने के लिए और इस पर बहस करके इसमें अमेंडमेंट करने के लिए एक बेहतर भीका मिल सकेगा।

> श्रव मुझे यहां पर यह कहना हैं कि सब से पहले ई०एस०ग्राई० कापरिशन के तहत जो हस्पताल चलाये जाते हैं, नाखिस उन हस्पतालों का इनतहाई हस्पतालों में इंतजाम है, न तो उन असली हालात न्हैया किये गये हैं और न ही सही तरीके से वहां पर कोई आपरेशन थियेटर वगैरह का इंतजाम है और न ही उन हस्पतालों में मरीजों के लिए कोई ग्रन्छे बेड्स वगैरह मुकर्र किये गये हैं। जब दूनिया ने इतनी तरक्की की है ग्रीर फिर हिंदुस्तान में कई अच्छे-अच्छे हस्पताल मीजूद हैं, तो जब हम ई०एस० शहि हस्पतालों को

देखते हैं, तो हमें इनतहाई अफसोस होता है।

इस वजह से यह जरूरी है कि सब से पहले हमारे जो हस्पताल हैं, उनका बहतरीन इंतजाम किया जाए ताकि हमारे इम्पलायीज जब वह हस्पतालों में जाए, तो बेहतर से बेहतर इलाज बहु ले सकें।

दूसरी बात हैस्पतालों की इनतहाई कमी है और अभी जैसा कि कहा गया है कि जो भी हस्पताल है, वह सिर्फ अर्बन एरियाज में है और रूरल एरियाज में इस किस्म के बहुत ही कम हस्पताल रखें गये हैं और रखें भी गये हैं, तो काफी दूरों के फासले पर रखें गये हैं। इस वजह से जरूरत इस बात की है कि यह हस्पतालों की जो कमी है, यांनी ज्यादा हस्पताल खोले जाएंगे और खास तौर पर जहां हमारी रूरल पापुलेशन है हमारे विलेजज में जो रहती हैं, वहां पर भी अच्छे किस्म के हस्पताल खोलें जाए।

फिर जैसा कि अभी कहा गया है कि डाक्टर्ज की भी बहुत कमी है बेहतरीन डाक्टर्ज ग्रीर स्पेशलिस्ट डाक्टर जी हैं, उनका इतजाम किया जाना बेहद जरूरी है और फिर दवाओं के भी ताल्लक से यह देखा गया है कि जी कुछ उनको प्रेसकाइब किया जाता है, वह मेडिसंस उनको दवाखानों में नहीं दी जाती। जब मेडिसंस ही दस्तियाव नहीं है दवाखानों में, तो किस तरह से मरीजों का इलाज हो सकेगा। यह बुनियादी जहरतें हैं, जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं और मुझे पूरी त्वक्की है कि हमारी लेवर भ्रिनिस्टर साहब इस जानिव जरूर त्वज्जह देंगे धौर इन दवाखानों के बेहतर से बेहतर हालात की तरफ त्वज्जह देते हुए इनको इम्प्रव करने की ५री कोशिश करेंगे।

फिर इनके बाद हमारे पास कई ठरह के इनाज हैं, बिजाल के तौर पर एको-पैक्कि ठरह का इनान है, होस्योपैक्कि तरह का इलाज है, आयुर्वेदिक तरह का इलाज है। जरूरत इस बात की है कि जो यह स्कीम आ रही है भारत के लिए, यानी भारत के शुमाल में भी, जनूब में भी, मशरवा में भी, और मगरब में भी बराबर इस तरह के दबाखान होने चाहिए, तो इन तमाम तरह के इलाज का वहां इनजाम होना चाहिए, एलोपैथिक का भी, आयुर्वेदिक का भी, होम्योपैथिक का भी और यूनानी तरह के इलाज का मी इंतजाम होना चाहिए ताकि मरीज भी अपनी पसंद के तरीकाए इलाज के तहत वहां पर जाएं और उस तरह के इलाज से पूरा-पूरा फायदा हासिल करें

≖इसके बाद जैसा कि अभी कहा गया है, कैज्झल वर्कर्ज इस स्कीम से पूरा इस्तफादा हासिल नहीं कर सक रहे हैं। लिहाजा, जरूरत इन बात की है कि कैज्यल वर्कर्ज को भी इन स्कीम के तहत कवर था जाए । और फिर खास तौर पर इ. हमारे युम्रजिज मिनिस्टर साहब की तवज्जह से जानिय दिलाना चाहता ह कि समें जो फंड महैबा होता है वह सिर्फ इंप्लायर ग्रीर इंम्प्लाइज के जो कंट्रीब्युशन होते हैं सिफं वही फड़ज के जरिए यह पुरी स्कीम चलाई जाती है। इसमें सैन्टल गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं लगता और यह जो कटीब्यूशंज होते हैं ये खतम इस काबिल नहीं होते कि यह पूरी स्कीम को इंतहाई कामजाबी के साथ और इंतहाई मुझितर अंदाज में चलाया जा सके । इस वजह से जरूरत इस बाल की है कि हमारी मरकजी हरूमत में भी जो है जिसमें खातिरखाह फंड दे भी जो है इन अगरा म्य्रोमकासिद के तहत यह स्कीम कायम की गई है उसकी तकमील हो सके ।

इन चंद अलफाज के साथ, जो मुझे टाइम दिशा गया है उसके लिए मैं अपका शुक्रिया अदा करता हुं।

†[شری محصد خلیل الرحمان (آندهرا پردیش): جلاب وائس چیرمین صاحب سب سے پہلے میں آپ کو میارکیاد پیش کرتا

t[] Transliteration in Arabic Script.

اداره بن سكتا تها - لهذا قريب چالیس بیالیس سال کے بعد اس بل ميں اسكا املد لت هو رها هے-مگر يهال يو مجد يه كهتے هوئے افسوس هوتاً هے که جن پروگریسیو الداز ميس اسكا املدملت هونا چاھئے تھا - اس طریقے سے اسکا أملدَملتَ نهين هو رها هے - حالانكة کوئی چالیس پیالهس سالوں کے بعد اس قسم کا امندملت لایا کیا هے - اس وجهة سے ابھی همارے گولیگ - وپین گهوش صاحب کی جانب سے آج یہ تنجویز رکھی گئی هے - که اس بل کو ایک جوائلت سلیکت کمیتی کے حوالے کیا جائے -تاكة اس جرائلت سليكت كميتى میں بہتر سے بہتر انداز میں اس ہو غور کون کیا جاسکے اور پھر اسكى جو بهى تحويز هوگي - ولا اس هاؤس مهي آئيكي - تو هاؤس میں اس پر کنسیتر کرنے کیلئے اور اس پر بحث کرکے اس میں

Insurance (Amdt.) Bill, 1989—Passed

اب معجه يهال يو يه كهنا ه که سب سے پہلے ایی- ایس - آئی-کارپوریشن کے تصت جو هسپتال چلائے جاتے هیں ان استالوں کا انتہائی ناقص انتظام هے - نا تو ان اسپتالوں مهن اصلى آلات مهيا كلي كلي هين - اور نه هی صحیم طریقے سے وہاں پر كوئى آپريشن تههئير وفهره كا انتظام ھے اور نه دی اس اسپتالوں میں مريضون كيلئے كوئى اچھ بيدس وفهره مقرر کلے گئے هيں - جب دئیا نے اتنی ترقی کی ہے اور پھر هلدرستان میں کئی اچم اچم اسهتال موجود ههن تو جب هم

امتدمنت کونے کھلئے ایک بہتو

موقع مل سکےگا -

[شرى محمد خليا الرحمان] هوں اور پہر میں ایکے لئے باعث قندر سمنجيذا جاهدا هون كه يهلي دفعه مجه آپ کی وائس چهرمین شپ میں بولئے کا انفاق ہوا ہے۔ جهال تک ایمهائز استیت انشهورنس بل كاسوال هـ - مين يه عرض کرونکا که ۱۹۳۸ع میں یه بل پاس کیا کیا - پهر کوئی ۱۵ سال تک أسكو مؤيد القوا ميس ركها گيا اور بهر اس بل کا امپلیمینگهشن ممل میں آیا - اس بل کے ذریعے ایک أيى - ايس - آئى - ٢رپوريش بنايا كها اور ايي- ايس- أئى - كارپوديشي کو اسکی ذمه داری سونپی گلی که جتنا بهی اسک امپلیمینتیشن هے -وہ اس کارپوریشن کے ذریعے ھو ۔ مگو مجه يه كبته هبله التهائي السرس هوتا هے - که جس تاریخ سے اس بل كا نفاذ عمل مين آيا اس تاريم سے صحیحے معلوں میں اور جس افراض و مقاصد کے قصت یہ ایی - ایس - آئی - کارپوریشن قائم کیا گیا اور یه بل پاس کیا گیا اس افراض سقاصد کی تکمیل نهیں هو سکی - اور انتهائی قیر اطمینان بخص طریقے سے ان کا نفاذ عمل مين أيا - ماازمين كو أيمپائز كو، جو اس بل سے فائدة حاصل هونا جاهله تهاه ولا فائده حاصل نہیں ہو پایا ہے - اس سے پہلے بھی کہا جا چکا ھے کہ ایی- ایس- آئی- کا جو ایدمنستریشی تها وہ نه تو کسی آٹونامس باتی کی تعویف میں آتا تھا اور نه هی یه گورنمذث قيهارتمنت تها - جب اس قسم کا اس میں کلفیوزن تہا۔ تو ظاهر هے که ایس - آئی -کارپوریشن کس طوح سے ایک اهل Employss & State

273

دیکھتے هیں تو همیں انتہائی افسوس هوتا هے -

اس وجهة يه ضروري هے كه سب سے پہلے هماری جو اسپتال هیں انکا بہترین انتظام کیا جائے تاکہ همارے أيميلائز جب وة اسيتالون مين جائیں تو بہتر سے بہتر علے وہ لے سکیں ۔

دوسری بات اسپدالوں کی انتہائی کمی هے اور ابھی جیسا که کہا گیا هے که جو بھی اسپتال هیں وہ صوف اربن ایریاز میں هیں ارر رورل الیویاز میں اس قسم کے بہت ھی كم اسبعال ركه كله هين - اور ركه بھی گئے تو کافی دور کے فاصلے پر رکھ گئے ھیں - اس وجهہ سے ضرورت اس بات کی هے که یه اسپتالوں کی جو کئی هے- یعلی زیادہ اسپتال کبولے جائیں اور خاص طور پر جہاں هماری روزل پاپولیشن هے همارے ولهجز مين رهتے هيں - وهاں پر بھی اچھے قسم کے اسمتال کھولے جائين -

پھر جیسا که ابھی کہا گھا ھے۔ کہ قاکتوز کی بھی بہت کمی ہے بهترين داكترز اور اسهيشلست داكترز جو هيس انكا انتظام كيا جانا بهور بے حد ضروری ہے - اور چیر دواؤں کے تعلق سے بھی یہ دیکھا کیا ہے کہ جو کچه انکو پریسکوالب کیا جانا

هے - وہ مهديسلس انکو دوائمانوں میں نہیں دی جاتی ھیں - جب میدیسنس هی دستیاب نهیس هیس دوالمانوں میں تو کس طرح سے مريضوں کا علاج هو سکے گا۔ يه بلهادي فرورتيو هين - جتي کي طوف مين اشاره در رها هول اور منجه پوری توقع هے که هماری لیبر منستر صاحب اس جانب ضرور توجهه دينكي اور ان دواخائوں کے بہتر سے بہتر حالات کی طرف توجهة دیاتے هوئے انکو امپیروو کرنے کی پوسی کوشص کریلگے۔ پھر اسکے بعد همارے پاس کئی طرح کے عالم هين - مثال کے طور پر ایارپیتهک طرح کا ملاج ہے ۔ هوميوپيتهك طريقه علام هے آبورويدك طريقة علل هـ - يوناني طريقة علل ھے - ضرورت اس بات کی ھے کہ جو اسکیم آرهی هے - بهارت کیلئے -یمنی بہارت کے شمال میں بھی جارب میں بھی - مشرق میں بھی آور مغرب میں بھی - برابر اس طوح کے دواخانے ہونے چاھئے - تو ان تمام طرح کے علاج کا وہاں انتظام هونا چاهئے - ایلوبیتهک کا بھی آیو ویدک کا بھی - هومیوپیتهک کا یہی اور یونانی طریقه علام کا بھی وهان التظام هونا چاهله تاکه مريض آپ ایلی یساد کے طویقہ علام کے تحت رهال پر جائیں اور اس طرح کے علام سے پورا پورا فائدہ حاصل

کریں -

[شرى محمد خلهل الرحمان]

اسکے بعد جیسا کے ابھی کہا گیا ہے کہ کیجول ورکوس اس اسکیم سے پورا استفادہ حاصل نہیں کر سکے هیں - لهدا ضوورت اس بات کی ھے کہ کیمجول ورکرس کو بھی اس اسکیم کے تحصت کور کیا جائے - اور پھر خاص طور پر میں ھمارے معزز ملستر صاحب کی توجهم اس جانب دلانا چاهتا هون که اس مهن جو فلد مهيا هوتا هے وہ صرف ايه بالكر اور ایمپلائز کو جو کنتری بهوشن ھ وتے ھوں صرف وھی فلڈز کے طربعے پوری اسکیم جلائی جاتی ہے - اس میں سینٹرل گورنمات کا ایک پیسم نهين لکتا اور يه جو کنتري بيوشنو هوتے هيں ية قطعاً اس قابل نهين کہ ان سے پوری اسکیم کو انتہائی کامیابی کے ساتھ اور انتہائی موثر انداز ميں چلايا جا سكے - اس وجهة سے ضرورت اس باس کی هے که هماری موکئی حکومت میں بھی جو ہے اس میں خاطر خواہ فلڈ دے تبوی تاکہ جن افراض و مقاصد کے تحصت یہ (سکیم قائم کی گائی <u>ھے</u> اُس کی تكيهل هو سكے -

ان, چلد الناظ کے ساتھ مح جو تائم دیا کیا ہے اس کے لئے میں آب کا شکریه ادا کرتا هوں -]

थी सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलवालिया (बिहार) : उपत्रभाष्ट्राक्ष महोदय, में इंप्लोइन स्टेट इंग्योरेंस (ग्रमेंडमेंट) बिल. 1989 का समर्थन करने के लिए खड़ा

हुआ हूं थोर साथ-साथ, प्रभी हमारे पूर्व वक्ता ग्रार विपक्ष के नेता दीपेन घोष जी ने जो सुझाव दिया कि इस अमेडिमेट दिल को सलैक्ट कमेटी को सौंप दिया जाए इसका विरोध करता हूं। बहुत दिनों से इस जिल में सधार लाने की कीशिश चली या रही है। जैसे कि अच्छे ने यच्छे हालात में मनदरों को स्वास्थ्य सवाएं उप-लब्ध कराने के लिए रास्ते निकाले जीएं। इसके पहले भी दो कमेटियां पालियामेंट में बन चकी हैं और उन्होंने अन्ती रिपोर्ट भी सप्रमिट की है। मैं समझता हूं कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को सौंपने पर मजदरों को मिलने वाली सहलियतों में और देरी करने की कोशिश होगी ग्रीर उनको सही वक्त पर सही स्वास्थ्य सेगाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सहींगी। महोदय, समर्थन करने के साथ-साथ दुख इस बात का भी होता है कि हनारा देश जहां पर उद्योग में काम करने वालें मजदूर माथ-साथ में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदरों की संख्या बहत ही अधिक है और उसके बावजूद आज तक **ई**. एस. श्राई. के माठ्यम से जो स्वास्थ्य सेगाएं उपलब्ध थीं उनमें देखा गया कि कुछ कमी आपने लगी और उसको देखने के लिए कोई खास कार्पीरेशन या खास कोई मैनेजमेंट बोर्ड ने नहीं देखा जिसके कारण हमने देखा है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र और गुजरात में इसकी सदस्यता की संख्या बहुत गिर गई है और आधी से भी कम हो गई है। इसके पीछे जो-जो कारण हैं उन पर विचार करने की जरूरत है । उप समाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे पास जो फिगर है 31-12-87 तक ई.एस.आई. के पास 100 अस-ताल थे। उन 100 अस्पतालों में 18,776 वैद्या थे और 42 एनेक्सीन थीं जिसमें 842 बैंड थे और करीच 1,249 डिम-रेंसरीज चलती थी ई. एस. ग्राई. के माडवम से धौर एछ धस्पतालों में ई. एस. आई. का अपना बंदोबस्त था करीब 4,168 वैडों की उन्होंने कोई एक एग्री-मेंट कुछ ग्रस्पतालों के साथ - कर रखा या । उपसभाहत्रक्ष महोदय, सवाल उठता है कि चाहे ई. एस. आई. के तहत कोई आता हो, चाहे राज्य के तहत कोई आता हो और चाहे केन्द्र के तहत कोई शाना

277

हो, क्या बीमारी भी पुछकर चलती है कि मई, हम उसके जो इलाज करने जाते है उसको कम दवाई देने में उसका इलाक हो जाएगा वयोंकि वह ई० एस० **आई०** के तहत है ? उसको कम म्लुकोस **चढा**ने ने इलाज हो जाए**गा** क्योंकि केन्द्र के तहत है, ऐसा नहीं है।

तो महोदय, में आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा जो हास्पी-टल चलाए जाते हैं उसमें पर पेमेंट जो पर केपिटा इंबेस्टमेंट है श्रीर जो स्टेट द्वारा हास्पोटन चनाए जाते हैं उनमें पर पेणेंट पर केनिटा जो इंन्वेस्टमेंट है श्रीर जो ई० एस० आई० द्वारा हास्पीटल चलाए जाते हैं उनमें जो पर पेशेंट पर केपिटा जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें फर्क क्यों है ?

इसके साथ-साथ ई० एम० आई० हास्पी-टल में जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिएं, उनकी बड़ी शिकायत है । आज हमारे यहां जो ग्राक्यपेशनल डिसिजेज हैं, उनका सही इलाज करने के लिए कोई विशेषज्ञ हमारे ई० एसं० आई० हास्पीटल में नहीं मिलते हैं। श्रगर मिलते हैं तो जो दबाइयां उपलब्ध होनी चाहिएं, वह नहीं मिलती हैं। अगर दव। में मिलती हैं तो वह घटिया किस्म की होती हैं, जिसते इलाज नहीं होता है । मैं आपके महियम वे सरकार ते गजारिश करना चाहंगा कि ई० एस० आई० होस्पीटल में कर्न से कम केंसर वार्ड, टी० वी० वार्ड, किइनो और काडिएक डिसोइंर के लिए बार्ड होने चाहिएं ग्रीर इनके स्पेशलाइज्ड **धाक्टर** हर एक स्टेट में उपलब्ध कराए जाने चाहिएं, जिससे रोगियों का इलाज किया जा मके । यह जो ग्राक्यपेशनल डिसिजेज हैं, यह काम करते वक्त ही लोगों को होती है। यह जो तरह-तरह के काम के भ्राक्यपेशनल हेनारडम हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए डयान देने की अरूरन है कि क्या-क्या प्रीकाशन लिए जायं ताकि यह डिनिजेज न हो सके । जो ब्राक्य-पेशनल हेनारडन हैं, उस पर विचार करने की तकत है और उसमें इसकी शाखा देकर कुछ रितर्च पर भी काम किया जा सकता है कि कीने यहां के मज-दरों को, वर्करों को मदद दी जा सकती है।

उपसभाव्यक महोदय, जैसे कि कुछ

छोटो ग्लास फैक्टरो हैं, जहां ग्रमी भी पाई। से फूंक कर ब्लो मोलटन ग्लास सिस्टम से काम किया जाता है और लालटेन की विमनी बनाई जानी है, ग्लास बनाए जाते हैं, छोटे जार बनाए जाते हैं, वहां आम लोगों में देखा जाता है कि वहां के वर्तरों को लैन्स प्रोब्लम हो जाती है या किडनी की प्रोब्लम हो जाती है और ई० एस० ग्राई० से कवडें होने के बाब बूद भी उनको वहां पर कोरोजित की गोली या एनालकन की गोली खिला दी जाती है या सल्फा डाय-जन या सल्फा खाडिन ही खिलाई जाती है और उनका किसी स्पेशलाइज्ड डाक्टर से इलाज नहीं किया जाता है। इसी तरह जी वर्कर जल जाते हैं, कारखानों में जल जाते हैं, बन इन्ज्यरी उनको हो जाती है तो स्किन ग्राफटिंग का इलाव या बर्न इन्ज्यरी का इलाज करने के लिए वहां कोई ग्राइसोलेगन रूम या ग्राई० सी० ग्रो० की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं इसके साथ-साय जो टी बो पेशेंट हैं, उनके लिए भी आइसोलेशन रूम जो चाहिए, वह नहीं इन्हीं खामियों के कारण, जैसा मैंने ग्रमी कहा पहले कि महाराष्ट्र ग्रीर गुजरात में मेंबरशिप कम हुई है, लोगों ने अपने श्रापको विदडा कर लिया है इन चोजों को भददेनजर रखते हुए हमें ह्याल रखना चाहिए कि ई० एस० ग्राई० के इस कानन में अमेंडमेंट करते वक्त जहां इन खामियों को पूरा किया है, उसके साथ-शाथ मैनेजमेंट में भी कढ़ाई छाने की अरूरत है इसलिए कि वाकई में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक उपलब्ध कराई जा सकें

Insurance (Amdt.)

Bill, 1989—Passed

महोदय, मेरे पूर्व वकता ने ग्रंभी कहा कि आयर्वेदिक, यनानी और होस्योएँ एक टीटमेंट का वंदोबस्त ई० एस० धाई० के माध्यम से होता चाहिए वयोकि यह देवीश-नल इंडियन मेडिसिन सिस्टम है श्रीर इनको भी पापुलराइज करने की जहरत है। इसी के साथ-साथ जो अनुप्रागैन इज्ड एप्रीकल्चरल लंबर है। उसकी और भी ध्यान देने की जरूरत हैं। अभी इस कान्न में जैसा लिखा जाता है--

'Whereon ten or more persons are employed or were employed for wages on any day of the preceding twelve months, and in any part of which a

[श्री सरेन्द्रजीत सिंह ग्रहन्वालिया] manufacturing process is being carried on with the aid of power or is ordiparily so carried on."

यह जो पावर की बात झाती हैं. यहां कहते हैं-सिर्फ पावर से जो कार-के, वहां ई० एस० आहि० में क्वड होंगे, ऐना मेरो समझ में अपा हैं। लेकिन में कड़ाा हं कि कई दूपरे ऐसे हैं, जड़ां पावर का कोई प्रयोग नहीं होता **है** इनक **लेबर्स** की संख्या उससे भं ज्यादा होती है। क्या वह ई०एस०म ई० के माध्यम से कवर नहीं होंगे । यह खन-ग्र गेन इंग्ड सेक्टर्स जो हैं उनको कवर करने के लिए प्लस मैं होग कि यह 10 को संख्या क्यों रखी गेया है। इससे कम करने की जरूरत है क्योंकि स्वास्थ्य ग्रगर खराब होता है तो 2 श्रादमियों में भी खराब हो सकता है । उसे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदार। हमारी बनती है इसलिये इस पर विचार करने की जरूरत है।

महोदय, हमारी सरकार ने महिलाओं के बेलफोपर के लिये काफी और विधा **हैं। म**हिलाओं के **डवलप**मेंट और वेल**फेग्र**र के लिए बड़े काम किए जा रहे हैं। मैं जानना चाहंगा कि ई० एस० आई० के मान्यम से कई ग्रलग वार्ड खोला गया है? क्या उनके रोगों की जांच के लिए कोई ध्रलग विशेषज्ञ रखे गए हैं ? ध्रार रखे गए हैं तो कितने रखे गए हैं और कहा-वहाँ हैं ? मंत्रीज कुपया यह बाने की अपा करें। मैं कहा चाहुंगा कि इन्हें रूरल धौर धवंन दोनों जगह रखने की जरूरत हैं।

महोदय, मेरे पूर्व वकता ने जैसा कि मे शत 63- Persons not entitled to receive benefit in certain cases-इस सम्बन्ध में, मैं भी इसका विरोध करता

हं कि स्ट्राइक करने का एक वर्कर को म्राधिकार है ग्रीर ग्रगर स्ट्राइक करते वक्त वह बीमार हो जाता हैं, उसे चोट लग जाती है या बह अपंग हो जाता है तो उसकी देवरेख की जिम्मेदारी एम्प्लायर की होता है। इम्ब्लायर को उस जिम्मे-दारी से भागने की अरूरत नहीं है। इसलिए यहां लेबरसें को प्रोटेक्शन देने के

लिए इस बलाज में एमेंडमेंट की जरूरत हैं। जो एमेंडमेंट किया गया है, वह सही नहीं है । उनके साथ-साथ एप्प्लायर को वचने की जो कोणिश की गयी है, 86 (ए) में जैसा कि मेरे पूर्व बक्ता ने कहा है. में इसका विरोध करता है। यहां वहा है--

खाने बलते हैं दस से ज़ादा तक के लोगों "Provided that nothing contained in this subsection shall render any person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence."

इसमें हम कंपनी के मैनेजिंग डापरे-कटर को, डायरेक्टर या इिमिनिन्टेटिक डायरेक्टर को एक कथर दे रहे हैं सिके भाष्यम से वह ग्रपने ग्रापको बचा स्वता हैं। वह इसकता है कि यह मेरे बत ए बगैर या मेरे जाने वर्तर मेरे एवाउंटेंट ने, मैनेजर ने या बलके ने ऐसी शतता की है कल को रिटर्नफ इल की बात आती। है, ई० एस० आई० के पैसे जमा करने की बात श्रार्त है, तो वह बहा है कि यह निग्लाजेंस मेरी नहीं है, करके की है। तो इस तरह ग्रोनर ट्रांसफर करने, के लिए जो सहयोग दिवा जा रहा है इसे रोकने की बात है।

उत्तरमाध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से मैं ग्राने श्रम मंत्राख्य के कंती ज की अपन्रोध करूमा कि स्योक्ति वे खद भी श्रमिकों के इंटरेस्ट के लिए काम करते खाए हैं, सारं उप उन्होंने दाम किया है, वह श्रमिकों के कष्ट को, उनके दर्द को समझते हैं इमलिए मैं बाहंगा वि: इस वक्त भी इस बिल को पास करते वक्त सदस्यों की छोर से जो सझाव ग्रांग हैं, उन पर विचार करते बन्त वे श्रमिकों के हित का ध्यान रखेंगे। एक मंद्रा की तरह नहीं, बल्कि श्रमिकों के हमदर्द की तरह वे उनका ध्यान रखेंगे आर इस विल को जल्दो-क्षे-जल्दी किस तरह हम इम्ब्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी वे व्यवस्था करेंगे । धन्यवाद ।

थी चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाष्यक महोदय, यह बिल इस बात का सबत है कि सरकार जिस काम को नहीं वाहतं है, उसको कितनी देर लगाकर केया जा सकता हैं कोरजब चाहती है

281

तो संविधान संशोधन भी 6 महीते के अंदर या एक इस ने के अंदर हो सकता है । एन 1975 से यह स्झाव दिया जा रहा है कि ई० एस० छाई० का कानून पुराना एड गया है इनमें तरमीम को जाय और कुछ भ्रच्छे प्रावधान किए जाएं। लेकिन वह खटाई में पड़ा रहा। श्रव उसी सुझाव को, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस विल में ग्रच्छे ढंग से इस संस्था को चलाने के बारे में विचार नहीं किया गया है, इसलिए इसे सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ...लेकिन हमको यह डर है कि सलैक्ट कमेटी में भेजें तो फिर 10-15 बरस यह पड़ा रह जाएगा। तो इसका क्या इलाज हो? इसलिए मैं यह चाहता हुं कि जब हमारे पालिय मेंट की कमेटियां काम नहीं कर पाती हैं समय पर, तो सरकार इस बात पर विचार करे कि सलैक्ट कमेटी का काम कैसे करवाया जाए। बिल को एक दशब्दी पेंडिंग करके या उसके पहले ही कोई कमेटी रहे जहां सरकार अपने ड्राइटको भेजे श्रीर विचार करके जल्द बिल ग्राया करे। नहीं तो ग्रगर सलैक्ट ग्रीर ज्वाइंट सलैक्ट के भरोसे रहेंगे तो हमको लगता है कि इस शताब्दा में तो यह काम नहीं होने वात। है क्योंकि इधर णताब्दों के बहम होने में जितने कम बरस बच गये हैं ग्री जितन। 15 वरस पीछे था, उतना भी बरस नहीं बचा है कि हम कई कानून पात करे। यह अगली भागान्दा के लिए रेकर करें। तो यह बड़ा दिक्कत की बात है, यह दिन्तत इसलिए भा है कि हमारे देश में म जिलों को हकमत ने छट दें है, वे बैंह से तो रूपवाले ही सकते हैं, फाइ-निषायल इस्टायुगान का ले ही सकते हैं श्रीर प्राविडेंट फंड का भी रुपया लेखर बैठ जाते हैं ग्रीर सरकार कहती है कि हमको ताकत नहीं है कि हम कुछ कर सकें। अभी ई. एत. शाई. का 116 करोड़ रुपया मालिक पक्ष अपने पास रखे हुए हैं। वह देता नहीं है ब्रोर सरकार भी कुछ करती नहीं है और हमारा जो श्रम मंत्रालय है, उसके तो दांत नहीं हैं, वह तो धमनः सांप हैं, वह फा उठाएगा ज्यादा, काटेगा किसी को तो विष ही नहीं चढ़ेगा । इसको अपनी पावर ही नहीं

है, दांत ही नहीं हैं, तो वह करेगा क्या? जिनको दांत है, वह इस पर कारवाई नहीं करेंगे। नो इस प्रकार मुझे खुर्का है कि इस विल के ग्रान्दर कुछ दांत दिए गए हैं कि उनसे पैका वसूला जाए। यह जो नए प्रावधान इसमें ग्राए हैं, वह बहुत ग्रन्छी बात है जैसे कि सेक्शन 39 में या फिर सैन्यान 45 सी से लेशर एफ तक जो हैं प्रावधान है वह प्राच्छा बात हैं लेकिन में समजता है कि इसके दांत मजबत हो सर्वे इस लग् सरकार को यह जावर लेंगे चाहिए कि ऐसे जो ई० एस० आई० के पैसे नहीं देने व ले का रखाने हैं. उसके बोर्ड ग्राफ डायरेक्टर्स दगैरह में हैं, उन लोगों को दूसरा बिजनेस करने का लाइसेंस नहीं दिया जाए । उससे यह ज्यादा डरेंगे विनम्बत इस ब त के कि उन पर मुक्दमा चले । मनदमा तो यह ले आते हैं सप्रीम कोर्ट तक, फिर इस शत ब्दी में फैसला नहीं होगा इसलिए लिटिगेशन में दे देगे। इसी तरह से न्यू कोंद्रेगट उनकी नहीं दिए ज एं या कुछ चिंदनेस पर उनके चोट की ज ए, वह ब्लैन लिस्टिड होबर रह जाएं। वैसे हमारे देश में नागरिकता में भी गडगडा हो जाता है। इण्डियन रहता है ग्रीर फारेन सिटिजाशिय ले लेता है। बर्माणन उधर से उधरहा ले लिया, हम चिल्लाते रह जाते हैं। हम कहते हैं कि इण्डियन है और सरकार कहता है कि फारेन सिटिजनमीप ले लिया और अम-र का कहता है कि ग्रीन काई दे दिया ती वडा झंझट है। लेकिन फिर भी ऐसा किया जाए, यह मैं चाहता था कि यह प्रावधान हो । श्रार मंत्री महीदय चाहें तों यह सैन्छा जो है, जो रुपया वसूलने, सब्तो करने का है, उसको ती जब चाहे हम वास करने के लिए तैयार होंगे। यह श्रच्छी वात है इसलिए उसमें हम सहयोग करेंगे।

श्चव कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं कि नए दृष्टिकोण की जरूरत है। यह बिल पुराने ही दृष्टिकोण से हैं। श्चपने देश में जब हम गुलाम थे तो अंग्रेजों ने हास्पिटल खोले थे चैरिटो के। जब गुलामो खत्म हुई, श्चाजादी झाई तो हमने कहा कि यह स्वास्थ्य है, चिक्तिस्सा का हरेक सिटिजन को यह श्रधिकार है।

[श्री चतुरानन मिश्र]

Employee & State

राज्य उसकी देखभाल करे, राज्य उसकी दे। अब सरकार कहती है कि इतना पसा नहीं है, इसलिए हम सभी सिटिजन को गारण्टी नहीं दे सकते हैं। तो एक दसरा तरीका श्राया कि मजदूर भी कंटी-इयट करेगा, मालिक भी कंट्रीब्यूट करेगा ग्रीर जैसा कई देशों में है, सरकार भी कटाव्यट करेगी, लेकिन हमारी सरकार ने स्वदेशो तरीका निकाल लिया कि मालिक भी कंटोब्यट करे. मजदूर भी कंटोब्यट वारे लेकिन सरकार कुछ भी कंट्रांब्युट नहीं करेगी और नाम चला सरकार का : एक पुर नी कहावत है हमारे यहा कि 'गांव महाराजी की, बांट करे वश्खी"। जो प्रानी सल्तनत थी और जो दूसरी तरफ के सर्विसिज वगैरह करने दाले थे वह गांवों का बंटवारा कर देते थे कि कीन किस गांव की करेगा। तो जब रूपया है मजदूर का वह रूपया मजदूर और मालिक का और प्रशासन सरकार का इस संशोधन में दिया है, उस**प्ते** उस कोष का भारी हिस्सा ऐडिमिनिस्ट्रेंटिव कास्ट में चला जाएगा। मैं कहना चाहंगा कि सरकार अधिकार ले लेती है, जैसा कि इस बिल के पेज 13 में चार-भांच बार यही बात ग्राई है "ऐज प्रिस्काइठड बाई दि सेंट्ल गवर्नमेंट" मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि कानून बनाने में इतनी देर लग जाती है, कुछ करना चाहते तो ये लोग कर नहीं पाते हैं ग्रीर विभाग भी इनका धमना सांप है। तो यह भी कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरा ख्याल है कि नया दृष्टिकोण आप यह अपनाइए कि जब मजदरों और मालिकों का पैसा है तो जो बोर्ड बने उसको चलाने का काम उनको सौंप दीजिए, सरकार क्यों श्रपने ऊपर जिम्मा लेना चाहती है? सरकार उसमें अपना प्रतिनिधि रखे। लेकिन जिम्मा क्यों लेंती है जैसे मान लीजिए मैटरनिटी बैनिफिट का केस है तो तीन महीने की तनख्वाह देनी है या 6 महीने की, सरकार के क्षेत्रेटेरिएट को तो प्रसव नहीं होता है, इसलिए जितना जरूरी होता है वह अपने ग्रापस में तय कर लें कि कितने महीने का दें। आप क्यों फिक करते हैं! इसी तरह से दूसरे बैनिफिट्स जो है उनको उन्हें तय कर

लेने दीजिए। अगर परमानेंटली, स्थाई तौर पर श्रक्षम हो जाता है तो उनका सुपर-ऐन्युएशन का ऐंज हो जाएगा तो बैनिफिट बंद कर दीजिए? तो जब परकानेंटली डिसेंबल हो गया तो उसका सपर पेन्यएशन क्या होगा? उसको भी जीवन भर नहीं देंगे तो कौन उसकी मदद करेगा? यह तो अमानवीय प्रावधान है कि जिसने अपना जीवन दिया, हाथ दिया, पांव दिए, वह अक्षम हो गया तो उसको 'सहायता नहीं देंगे तो किसको देंगे? यह इनहयमन प्राविजन है। इसमें मालिक पक्ष और मजदूर पक्ष को जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको तय करने दीजिए। सरकार उसमें श्रपना प्रतिनिधि रखे। किन्तु हस्तक्षप नही करें।

महोदय, एक बात यह भी है कि सरकार ऐडिमिनिस्टेशन का जिस्सा अपने कपर ले लेती है ई०एस० आई० का, श्रच्छी बात है, रूपया जमा है सरकार देखे. लेकिन सरकार का ऐडिमिनिस्टेटिव ज्यादा होता है। ऐसी कोई कास्ट बहुत संस्था तो चंदे से चल रही हो, वह सरकार का ऐडिमिनिस्ट्रिटव कास्ट वहन नहीं कर सकती है। उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती है; सरकार के पास नासिक प्रेस है, लेकिन ई०एस०ग्राई० के पास नहीं है। अगर मजदूर व मालिक मिलकर इस संस्था का काम करेंगे तो ऐडिमिनिस्टेटिव कास्ट कम होगी। मैं मंत्री महोदय से वहंगा कि इस बात की छान-बीन करें कि ऐडिमिनिटेटिव कास्ट कितनी बढ़ती चली जा रही है तो वह पाएंगे कि जो पैसे मजदूर बड़ी दिक्कत से देते हैं उसका काफी हिस्सा एडिमिनि-स्टेटिव कास्ट में खर्च हो जाता है। मैं सरकार से अनरोध करूंगा कि अगर श्राप जम्मा लेते हैं तो कम से कम, मजदूरों और मालिको की तरह कंट्रीब्युट नहीं कर सकते हैं तो ऐडिमिस्ट्रेटिव कास्ट तो वहन की जिए। इसमें कहा गया है कि आडिट का काम सी.ए.जी करेगा। अच्छी बात है, यापको सी.ए.जी. के लिए दर्द है और उसको आप आडिट दे रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि ग्रागे चलकर बोफसं रिपोर्ट के बाद सी.ए.जी. को आप रिखएगा ही नहीं।

उपाध्यक्ष (श्री मिर्जा इर्गादबेंग): ग्रेपोजिशन मिलकर कहेतो सरकार सोचे। श्रेपोजिशन का भी यह रवैया रहा तो सरकार सोचे।

श्री **चतुरानन मिश्र**ः सरकार तो विना अपोजिशन के समझती है। इतनी बृद्धिमान है सरकार...

उपसभाष्यक्ष (श्री मीर्जा इशविवेग) : कांस्टीट्यूशन में प्रोविजन है।

श्री चतरानन मिश्र: हम जानते हैं अपके मन में होगा तो आप करेंगे। अाप क्या नहीं कर सकते। क्या आप समझते हैं कि ग्राप बोफोर्स में ही कमीशन पा सकते हैं। आपको अधिकार है आप जो चाहें कर सकते हैं। यह ग्रच्छा प्रोविजन मंत्री महोवय ने दिया है लेकिन मैं यह कहता हूं कि जो आडिट करेगा उसकां खर्ची श्रीप वहन कीजिए। श्रापने यू. एस. आई. प्रबन्ध को इतना कोस्टली बनाया है तो कम से कम इतना भार भी वहन की जिए। जो बाडिट करेगा उसका खर्चा सरकार मीट करेगी। मज-दूरों के लिए इतना तो हयमन होना चाहिए, इतना तो मानव दर्द होना चाहिए। मैं तो यह चाहता था कि आप 1/3 शेयर देते लेकिन वह नहीं दे रहे हैं तो कम से कम इतनीं जिम्मेदारी लीजिए कि एडमिनिस्ट्टिव कास्ट इंक्ल्डिंग ग्राडिट का खर्चाग्राप वहन करें।

एक नयी बात इस विधेयक में हड़ताल पर रहने पर ई.एस. आई. सहिलयत नहीं मिलने की है। हड़ताल हम कराते हैं। आप जानते हैं मंत्री महोदय ने भी करवाई है हड़ताल। यह ऐसी बात है कि जो किसी से छिपी हुई नहीं है। जो भी सदस्य यहां है उसने एक न एक हडताल करवाई है। चाहे बह पक्ष का हो या विपक्ष का दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने कराई है। हड़ताल के दिनों में हम को बेनिफिट नहीं मिलेगा यह अनुचित है। एक तो सरकार ई.एस.ग्राई. का पैंसा नहीं देती फिर सरकार रोक लगाती है कि अप हड़ताल करेंगे तो अपना जमा पैसा भी नहीं ले सकते। हम किस लिए पैसा जमा करते हैं ? मैं मंत्री महोटय से कहना चाहता है कि विदेशों में अमेरिका में,

इंगलैंड में ऐसी ट्रेड प्रियनें हैं जिनके पास अरबों रुपयां है लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हड़ताल के दिनों में युनियन कोष से उनकी सुरक्षा हो सके यह होनी चाहिए। इसके ग्रतिरिक्त मैं एक नयी बात कहना चाहता हं वह यह है कि पिछले चन्द वर्षों के ग्राप श्रांकड़े लें तो भालूम पड़ेगा कि हमारे देश के श्रंदर टोटल मैनडेज का जो लोस होता है उसका अधिकांश भाग हडताल के चलतें नहीं लॉक-ग्राउट के चलते होता है। मैं यह जानना चाहंगा कि लॉक-आउट तो हमारे मालिक लोग करते हैं तो इस अवधि में इस कोच से सहायता मिलेगी लेकिन हड़ताल अवधि में वहीं होगी। पहले हम लोग नोटिस देते थे चार्टर अ।फ डिमांड्स देते थे तब हड़ताल पर जाते थे लेकिन श्राजकल मालिक लोग चाटर आफ डिमांड्स देते हैं और लॉक भाउट डिक्लेयर करते हैं। बड़ी-बड़ी कम्पनियां जो घाटे में नहीं हैं, बहराष्ट्रीय बाटा, हिन्दुस्तान लीवर, बिरला वाली; कॉटन मिल साल-साल भर, डेढ़ साल, दो साल लाक-अगाउट में रहती हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हं कि उस दिन जब हमारे बाल-बच्चे भखों मरते हैं उन दिनों का हम को रुपया मिलना चाहिए या नहीं। हम क्यों जमा करते हैं। इसके लिए एक नया द्धिकोण बनाने की जरूरत है जिसका इसमें सर्वथा अभाव है। मैं सरकार से यह कहना चाहंगा, मंत्री महोदय भी इसको जानते हैं कि मजदूरों में भी जो कमजोर हिस्सा है, जो असंगठित है उसके लिए हम लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ई०एस०आई० स्कीम उधर नहीं जा रही है। में बिहार की बात करूंगा। हमारे यहां माइका इंडस्टी में मजदूर काम करते हैं उसमें 5 परसेंट मजदूर भी ई०एस०आई० में कवर नहीं होते। जो नियम हैं उसके मुताबिक मजदूर इस स्कीम में नहीं आ पाते। नियम ऐसे बने हैं जिसमें वे फिट नहीं करेंगे। आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसे नियम बनाने चाहिए जिसमें मजदूर फिट करें। ये नियम ऐसे नहीं हैं जिनमें मजदूर फिट करें। ग्राप सर्वे कराकर देखिये। कुछ रिपोर्ट आयी है। मैं कुछ उद्योगों के नाम लेता हं--बीड़ी वरकर्स थि। चत्रानन मिथ्री

फारेस्ट वर्कर्स, स्टोन ब्रोकर्स, विलिंडग वर्कर्स ग्रीर माइका वर्कर्स। इनमें दस परसेंट मजदूर भी इसमें कवर नहीं हैं। वे अत्यन्त शोषित है। नयी परिस्थिति में हम देख रहे हैं एक राजनीतिक स्तर पर सरकार बहुत प्रचार करती है कि कमजोर वर्गों के ग्रंदर वह कुछ करना चाहती है। खेत मनदर तो हमारे देश का सबसे कमजोर हिस्सा है। तो क्या कोई ऐसा प्रोविशन हम नहीं निकाल सकते कि उनकी छोर से भी इतमें यथा साध्य कंटरोबयुशन हो और उनकी इनका

फायदा मिले और फिर उनके लिए 4.00 P.M. कोई इंग्योरेन्स करवा सकें, कोई

व्यवस्था कर सकें, उनका इलाज हो सके, दवाही सके, उनकी मेटरनिटी में पैसा दे तकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस लिए मैंने कहा न्य ग्रोरिएन्टेशन होना चाहिए। आजादी की चालीसवीं वर्षगांठ तो हमने मना ली और बाकी के चालीस भी ऐसे चले जाएंगे तो चालोसवीं वर्ध-गांठ मनाने से क्या फायदा? नये दिष्ट-कोण का इस बिल में सर्वथा अभाव है।

आखिर में मैं यह कहंगा कि जो सहिलियतें हम प्रदान करते हैं उनमें राज्य सरकारों के होस्पिटल्स की झालत सो अत्यन्त ही बद्त्तर है, लेकिन ई॰एस॰ आई० के होस्पिटल्प की हालत तो उनसे मी बुरी है। ऐसी हालत में हमारे मजदूर कहां जायें ग्रीर क्या करें। डाक्टरी महालयतें उनको नहीं हैं। माइका उद्योग की मैंने बात की। उसमें कुछ साल पहले जांच हुई थी तो पता चला कि हर एक दसवां वर्कर स्लोकोसिस. टी०बी० से पीड़ित है। हमारे पास इसका बड़े पैमाने पर कोई इंतजाम नहीं हैं। फिमैल के लिए ई०एस० ग्राई० के अन्दर बड़े पैमाने पर कोई प्रावधान नहीं हैं जिसमें महिलाग्रों की देखरेख हो सके। महिलाओं को पंचायतों में स्थान देना तो अच्छी बात है और स्वागत योग्य है, लेकिन वे जिन्दा रहे, उसे देखना भीर भी ज्यादा जरूरी है।

उपसमाध्यक (श्री मीर्जा इर्शादवेग) : जिन्दा रहें श्रीर स्वस्थ भी रहें।

श्री चतुरानन मिश्र : इसलिए मेरे ध्याल में पहलें इसकी देखना चाहिए। इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। यह भिसमैनेजमेंट यहां बड़ पैमाने पर है। ब्राधनिक चिवित्सा की व्यवस्था होती चाहिए, उसका इंतजाम होना चाहिए। इसलिए मैं चाहंगा कि सरकार इन बातों की छोर ध्यान दे छौर वह तभी हो सकता है जब सिर्फ सेकेटेरिएट के हुतम से नहीं, बहिन जो बोर्ड बने उसमें मजदूरी के रिप्रेजेन्टेटिव रहें, मालिकों का पक्ष रहेग्रीर सरकार का पक्ष रहेग्रीर वे फूल टाइम उसके लिए काम करें। इस तरह से ग्रागर ग्राप इसको नई दिशा देंगे तो यह समाज को ग्राकषित कर सकेगा। इसलिए मैं मंती महोदय से कहंगा कि वह प्रावधान जिसमें 116 करोड़ रुपये बाकी हैं और भी बाकी रखेंगे, उसके लिए आप जितना प्रावधान लाये हैं उसके लिए तो हम बिना मांगे बोट देने के लिए तैयार हैं, उसके पक्ष में हैं। मैं नहीं समझता कि हमारी वातों को समस्र कर ग्राप त्रन्त कोई एमेन्डमेंट कर देंगे, लेकिन कोई व्यवस्था इसकी नरें कि जो सुझाब हमने दिये हैं उन पर विचार हो सके ग्रीर लोगों को कोई नया रास्ता दिखाकर इस स्कीम को सफलीभत बना सके।

SOURENDRA BHATTA-PROF. CHARJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, the BiH that is before us moved by the Labour Minister who himself is a labour leader of long standing is unfortunately not up to the mark, coming 41 years after the first Act was introduced. During this long period, various drawbacks in the Act were witnessed. Nothing was done in the matter before 1975. But then, the 1975 report was followed by another report, perhaps six years later in the year 1981. And it took all of these eight years to frame a Bill and present it before Parliament. And it cannot be said, in spite of many changes in many places, that the Bill meets all the requirements of the situation. In certain respects no doubt some improvements would be possible if the

290

laws are implementned properly. But there is one lacuna. • The laws are there, they are not implemented. This Bill extends the scope of ESI to those in a place where ten persons are working with the help of power and twenty persons without the help of power-they will be covered by this Bill. But there are other provisions which give rise to apprehensions that it niay not be within the means of the ESI Corporation to extend hospital facilities to all the areas. In this respect some provision has been added. But actually the administrative structure which would enable it to discharge these obligations is not very clear. Certain designations have been changed: Director perhaps Financial General and Commissioner— whether these refer to the same person or whether these are two different officers is not clear from the language of the law in different places. Somewhere it is mentioned 'the Director General and the officer who makes if, in other places it is just 'the Director General and Commissioner'. Such lacuna and loopholes should be removed. Otherwise, such loopholes render the functioning of the organisation difficult. Every attempt should be made to strengthen this organisation to extend itE field of operation and to give genuine relief in the form of medical treatment to those who are working in factories as defined in this Bill itself. I do. not know whether the definition in this regard should be the- same as in other relevant Acts, as, for example, the Industrial Disputes Act. Anyw?y, even this definition should be properly enforced. It is found that ESI has a very insufficient network and at the same time a very ineffective network which is unable to subserve the interests of those for whom it is meant. There are a few approved doctors; there are some hospitals. But the hospitals are totally inadequate to meet the requirements of the working population residing in a metropolitan area. So they are only token in nature. What will be don® to improve this 529 R.&—10.

situation is more important. And that brings about the question of proper and sincere implementation. Otherwise, a legislation of this type .nay give rise to the apprehension fhat perhaps the interest sought to serve through this legislation is not thst.. of the worker, but by moving the Bill at this stage when the life of the House of the People, not af the paren-nial Rouse, Is about to end—perhaps should have ended earlier—at this point the moving of this Bill may give rise to questions. (Time *Bell rings*).

I am therefore inclined to support the amendment moved by the hon. Member, Shri Dipen Ghosh, for referring this Bill to a Joint Select Committee with persons who have the requisite qualifications and experience. Within a specified period to effect necessary changes "in the Bill, to give seme more teeth, to make it more responsive to the requirements of the situation

I would therefore, request the Government to consider whether they can accept the amendment by Shri Dipen Ghosh. (Time Bell rings)

But before concluding I would add just one sentence. One amendment seems to be very significant, the amendment that 'funeral benefit' should be replaced by 'funeral expenses'. I do not know what particular image the Minister has in mind, even though this Government did not respond to the call for resignation. Therefore, for a decent burial this one-time expense is something which they must not be grudged.

Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG): Mr. Viduthalai Virumbi. Last speaker.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise here to support the stand taken by the hon. Member Shri Dipen

[Shri S. Viduthalai Virumbi]

Ghosh that the Employees' State Insurance (Amendment) BiH ba sent to a Joint Committee of the two Houses.

The substitution of section 63 reads las follows':

"Save as may be provided by the regulations, no person shall be entitled to sickness benefit or disablement benefit for temporary disablement on any day on which he works or remains on leave or on a holiday in respect of which he receives wages or on any day on which he remains on strika".

This is a new provision. At present what the related portion says is:

"No person shall be entitled to sickness benefit or maternity benefit, or diablement benefit for temporary disablement in respect oi any day on which he works and receives wages".

In the section as it exists now, there are no words to punish workers who gre actually participating In a strike. From this what I understand is that if any sick person join in any strike he will be deprived of the bene- " fits conferred on a person due to sickness or disablement benefit. It clearly shows that it condemns a person who goes on strike even for legitimate demands or good reasons to agitate his grievance by way of strike. Strike is the last weapon used, by the workmen community to get their grievances redressed. As such, by crippling the fundamental rights of a worker who goes on strike reasonably the cause will get injured by the proposed amendment. Therefore, I request the hon. Minister to consider the aspect mentioned above and do the needful to protect the rights of the workers. Once again, I support the stand taken by the hon. Member, Shri Dipen Ghosh, that the Employees' State Insurance (Amendment) BiH be sent to a Joint Select Committee of the Houses, With these words, a conclude.

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Can I have just two minutes, Sir? Mr. Vice-Chairman, Sir, I only want to add my support to the views of the hon. Members that this is a very important Bill. It has come after a long time. Normally, I am one of those who believe that the Bill should go to a Joint Select Committee. But I agree with the hon. Members that our joint Select Committees have been functioning in a manner that it may further delay the process. But there are two or three clauses to which want to draw the attention of Dubey ji.

One is this Clause 25 which so many Members have commented upon. I think there is a lacuna in the drafting. The intention that whenever a labourer is drawing wage, when he is working, then he is not entitled to this benefit. You have amended it. So, even if he is on an earned holiday, he is not entitled. That means that he is getting wage. O. K. Now we have added "or he is on strike". Now we do not know whether he will get wages or he will not get wages merely being on strike. The strike-may be legal. In the ultimate settlement, sometimes he gets wages and sometimes he does not get wages for the strike period. So the amendment should be that even if he is-on strike, if he gets wages, then he is not entitled. But if he loses wages, then he should be entitled to this' benefit. Strike is a legal right of the workers. He cannot be punished merely because ha ls on strike. So. I think there is a lacuna in drafting. I would like Dubeyji to look into it.

The second point, which Shri Chaturanan Mishra also raised, was about these dues of 116 crores of rupees. I reouest the hon. Minister to bring forward another amendment. There should be no dues of Provident Fund or E.S.I. It can be achieved very easily. The banks should be instructed to pay the E.S.I. amount, by debiting the company. No manufacturing unit in India can function without a bank. If the unit is sick and if the bank has got a debit of one crore of rupees,

Bill, 1989—*Passed*.

it caa be one crore and one lakh of rupees. Workers' dues should .not be; withheld toy anybody. This can be doae easily with the cooperation of the banks. Commercial bank should be. Instructed to the effect that the Provident Fund and E.S.I, amount should be credited on the duc dates and the companies should be debited. If the companies have no money, it is the problem of the banks. But the com-panies cannot run on the workers' money. This can be very easily done_k Xt is my suggestion. Dubeyji should look into it An amendment can be brought in the next session. Provident Fund and E.S.I. dus* can be zero just like the electricity and telephonei bills. Onr Knen are disconnected in 15 days. There is no question of anybody nm* «mg after us. If the electricity bill is not paid, the line is disconnected. Similarly, if the ES.I. or Provident Fund money i, not paid, bank account should be frozen. A- company cannot run like shJs. First pay the money and then the company will run.

These are my two suggestions. Dubeyji caa look into them. Thank you.

श्रम मंत्री (श्री विदेशवरी दुवे): उप सभाध्यक्ष जी, ई.एस.आई. श्रमेंडमेंट बिल का करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने समधंन किया है, स्वागत किया है और कुछ सुझाव भी दिये हैं। इसके लिए में उनका बड़ा आभारी है। श्री दीपेन घोष जी ने एक संशोधन दिया कि इसकी पालियामेंही जायंट ममेटी को भेज दिया जाए। यह भाषण कर रहे में कि जहां पहले उन्होंने इतनी जोरदार शिकायत की कि इन संशोधनों को लाने में सरकार ने श्रत्याधिक देरी कर दी है, इस से बड़ा नुवसान हुआ और सरकार को इस बात के लिए जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इतनी देर श्राखिर क्यों कर दी, ब्राज जब उन्होंने यह कहा कि इसको जायंट सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाए तो मुझे ग्राक्चर्य हका

लेकिन मेरे जवाब देने के पूर्व ही बहुत से माननीय सदस्यों ने ही उसका उत्तर दे दिया कि पूर्व में हो काफी विलम्ब हो चुका है अब इसमें और अधिक विलम्ब नहीं होने दिया जा सकता है, इसलिए जो संशोधन है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता भीर यह कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि कोई भी चीज चाहे बिल हो या कोई भी चीज हो वह विल्कुल पूर्ण है, उसमें बिल्कुल ही पूर्णता है, उसमें कोई वटि हो ही नहीं सकती, हो सकता है इन संशोधनों के बाद भी अनुभव से यह पता लगे कुछ ग्रीर संशोधन की श्राव-श्यकता पड़ सकती है, यह भिन्न बात है, लेकिन अब तक जिन दो कमेटियों की अनुशंसाओं की, रेकमेंडेशंज की श्री दीपेन घोष जी ने और जिन सदस्यों ने चर्चा की उन्होंने काफी छान-बीम कर अपने सुझाव दिए। उन सुझावों को एक कमेटी के सुझाव को, फिर दूसरी कमेटी, पहली कमेटी कार्परिशन ने बनाई भी फिर चंकि पालियामेंट के सामने अमेंडमेंट लाना था, पालियामेंट के प्रति सरकार की एकाउटेबिलिटी है इसलिए सरकार ने उन संशोधनों को फिर देखने के लिए एक कमेटी बनाई कि वह कमेटी ठीक से देख ले कि उन संशोधनों को उसी रूप में लाने की ग्रावश्यकता है या नहीं। उस कमेटी ने फिर देखा, उन्होंने अपनी अनगंसा दी ि यह संशोधन पालियामेंट के सामने लाना चाहिए। उसके बाद तब तक जो अनभव हए थे उस अनभव के आधार पर इसकी छानवीन की जा रही थी, संशोधन बनाए जा रहे थे विस रूप में संशोधन लाए जाएं, उसकी क्या लैंग्वेज वगैरह हो, इस बीच में कुछ प्रैसिंग नीड्स आए ऐसा नहीं कि बिल्कुल संबोधन नहीं हुआ। श्रव उस वीच में बेज रिवीजन्ज हो रहे थे 1984 में एक संशोधन ग्राया, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जिसमें वि इस संशोधन के माध्यम से बेज के कवरेज को बढाया गया एक हजार से एक हजार छ: सी िया गया। संजोधन के माध्यम से मोकपेशनल डिज जिज की प्रोविजन्ज की गई और उसकी एक मैड्यल बने कुछ श्रीर भी माइनर संशोधन हुए। लेकिन

[श्री विदेशनरो दुव चो रेश्वेडेतंब वे व होरोहें तिय जिल के रू। में अरे समोबनों को एक आध समाबेश करके लागा भए, वह हो नही सका और इशिलए इन धर पानिवार ह्या। पूर्वी बार करने के बाद प्रव तक कै जो अनमा रहे हैं जिन-जिन कारगों से इव कार्योरेगा के फंगारेग में कठि-नाइयां हुई हैं इन अपोरिया के बनाने के उद्देशों को तकता में बी अठिनाइयां रहो है उनको ध्यान में रखते हुए सशोधन स्राए गर। हुळ माननो। ।वस्तों ने कडा कि वद्यपि यह एक अटोनोम न कार्परिशा होता च हिए था लेकिन वस्तुतः यह है । हो, यह बात नहीं हैं कि यह गर्भनेंनेंट ग्रॉटोनोंसन 📑 कार्पोरेशन हैं, नाजि ।। मेंट के इनेक्टमेंट के कात्। के पुताबिक यह कार्पीरेशन बनो। लेकिन यह बात भी सही हैं कि जो इनको आटोनोनन करेक्टर होनी चाहिए, बह नहीं रही और उनकी बहुत कमें भाडोबोनो फंक्सिविंग रहो, नान-मध्य की रहो। इनोलिए इन संगोधन के द्वारा, धगर माननीय सदस्य गरुराई से देखे तो उनको बहुत सो आडोनोमी दी जा रही

उत्तराहयक्ष महोदय, में मुखा-तीर पर एक बार कहा। इंकि प्राानश्रसे बड़ी कठि। ई नियानी को लेतर हो रही हैं पार वित बात के लिए बहुत च्यारा प्राचीचता हो रही है इस करमोरेगा की, विस्ती चर्चा जन नातीर परस्ती ने भी की, जिल्होंने कि उनवंत किए हैं, स्वागत किस है कि इन वित को विश्व पान होना चाहिए, उन्हों। भी उन नृटिसें की चर्ना की, उन अ नो रन अों को चर्ना हो और वह हैं --इ. एन. श्र है. के भारतालों की दूरतत्वा । जो क्य चन्होंने कहा है, मैं उपा पहमा है। है. १७. एई. का खांनक है इत्ज्यरी, केंग इन्डपरो बेनिफिट हैं डिसएबल बेनिफिट हैं परमानेण्ट डि गर्बल बेनिफिट है में गान वर्ग रह हैं अबके बरें में शिक्ष्यत नहीं होती सबने ज्यादा जिन्हायत जो ई. एत. अई. के हॉस्पोटल हैं, डिज्पेंगरीय हैं, उनके बारे में होती है। यह बात मही हैं कि न मिर्फ़ बाहर कारपोरेशन की जो बैठक मैंने अटेण्ड की है अभी तक, चेपरमेंन की हैनियत से, प्रत्येक बैठक में न निर्फ कर्मचारियों के प्रतिनिधि बल्कि मालिकों के प्रतिनिधि जो कंट्रीब्युट

करने हैं करशारान फांड हा निर्, उन्होंने पूरतोर अंतरचा को हॉस्पोटल की फैंगोंग हो, होंगेडल वे दबाइमें की करो हो, इंसाटन की दूरवस्था को । यह बता मी को है, इकार तहीं कर ॥ में इारा कि लिलोंने यह भो कहा, अगर था। सतो। पर हिडितन के पर नहीं दे करते हैं. इस गर अपर रन हो, नो प्रधानको इस्से मुन्त तरदें इ. १.७ शई, न लेकिन आधिर पह दुरास्या है कों ? इर पर कृता विवार तरें और उन दुरवस्फा को दूर करने का इत्तर प्रावतात है। यहां हॉस्पीटल चताने के लिए जो निधि की अबर कर है, क स्वीरेता स्वतं हास्रोटल िफं दिल्लो वृतिसन टेरिटारी में चेताता है, ब की नारी जनहीं पर, शुरू । हो चुंकि कारपोरेशन बनो तो फिर जो 19 िहारिटो में र इन देग में अपाता यत और मैं कह नकता हूं आज कि दक्षिणे में संजवतः एक सदा बहा सोगत विद्योरिटो मे । इ. जार्ने ताइजेशन संकटर बाँछन करान के निर् है, िनमें 62 लाज लोग कवर्ड है, गितके बेनेफिशरी व ढाई करोड लोग हैं।

उगामाधाक्ष महोदय, जब यह एक्ट ने गरिए कारपोरेशन का गना तब इस कारपोरेगन का चाना कोई वेडर नहीं, याना कोई अर्गेनाइनमन नहीं एसे ऐना प्रतीत होता है वरकटर की चिता न कि ततामा इ को सुविधाएं प्राप्त हो वार्थे लोगों को, इतिए वहां तंदीवर्गन का काँ**ई** प्रोविशन किया बहा इसना बहा इफा-स्टबनरन डन रामेंट सीवा ह रपोरेणन यहां वैठार विकवित कर लेगा, वेता विश्वास नहीं था। इसिन् हिल्ला लिस गरा कि कारपोरेगन हाँस्पीटलों के निर्णात का परा लवं देगः, डिन्धें गरीन का पूरा खर्च देगा, हॉस्पीटलों में जो 3d P.A. धाएंगे उपका पुरा खर्चा देगी । लेकिन अस्तालों का एडमिनिस्टेटिन एंड फा निविजन अंदोन, उने चनाने का पुरा यामित्व राज्य लरकार को दे दिया गवा चीर यह कहा गया कि ठीत है उसकी नान-रिकरिंग एक वर्षेडिचर पूरी ही कार्थरिकन की नित्रि में होगी लेकिन चूंकि आपको जवाबदेही दी जाती है इसलिए फंड्स ग्राप पूरी सनर्कता से खर्च करें, ठीक से उसका उपयोग हो । इसके लिए 7/8 कापरिशन

Insurance (Amdt.)
Bill. 1989—Passed

देगी और 1/8 राज्य सरकार देगी और राज्य सरकार उन इस्पतालों को चलाएगी क्योंकि उन कर्मचारियों के प्रति राज्य सरकार को भी जबाददेही है। चुकि मारिकों ने अपने आहिलागेशन को नहीं निश्वादा थ तो **उन**को कहा कि आप कंटीबाट करो, चलाएंगे हम और चलाने के लिए यह अधिकार राज्य सरलार को बेलिगेट कर दिए गए अब आज जो दुरावस्था है, मैं राज्य मरलारों की यादिवाइ में के बारे में भी वहुगा, क्योंकि मैं निनेत हैं कि अगर मैं नहीं बहुता तो यहाँ सोग तुरंत राज्य सन्कारो वे हिकेन के हुई हो । में । में राष्ट्र सरवार में रहा हूं, इनिल् में जनके बारे में बनाऊंग, कार्पी-रेजन उन डिप्पें री की चलाने के लिए 7/8 देती है और 1/8 राज सरकार देती है, इ लिए अगा वहां दरावरथा है, संतोष तिक द्वरावस्थ है आर लोग, उसत दिल्कल नियत पाना चाहते हैं, उसे निकालन, चाहते हैं तो उसका उत्तरदायिख कार्पोदेशन पर नहीं राज्य सरकार पर है। झगर जनके पास कुछ जिकायत है तो वह िर्फ राज्य सरकार को सलाइ देने **से** कुछ नहीं कर सन्ति है। लेकिन राज्य सरगर की भी कोई कठिनाइा है। जो फंड्स कार्पोरेणन राजः सरकारों के पान अस्पतालों को चलाने के लिए भेजती है, तो आन देश में कार्नेटिशन के अस्पतालों की संख्ता 100 में ऊपर है। राज्य सरवारों के पान जो फंड्स ाता है वह जनके कंसोलिडटेड फंड में चला ाता है। अगर बहुः सीधे श्रमः विभाग के प्रश्म चला जारु तो शाः।द कुछ श्र**च्छ इं**ताम हो सक्त। **है।** कंसोलिडेटेड फंड के लाय उनकी भी बंटिंग होता है और उपके बाद के प्रोमिनर के भन्तार हेत्रों में ाता है और फायनेंस डिंगर्टमेंट की स्वीकृति के म्ताबिक उसकी पार्ट बाई पार्ट रिलीज होती है इस तरह राज्य नरकार की जो प्रक्रिया है उसमें उनकी भी कुछ मजब्रियां होती है उनकी निधि को खर्व करने की । वह दूपरे कामी के लिए अच्छी भी हा सकती है लेकित अस्पताल के लिए वह ठीक नहीं है । इनलिए जहां उनके ग्रंस्पतालों की हालत भी संतोधजनक नहीं है और चंकि उन्हें अपने अस्पतालों को प्राारिटो देनो पड़ती है, ई. एस. आई. के अस्पतालों की हालत उससे भी ज्यादा बदतर । यह बात सही है कि लेकिन यह बात सही

नहीं है कि राज्य सरकार के श्रम मंदियों ने कहा कि हम इसकी हालत सुधारन। चाहते हैं, हमें दी ए । वह तो उन्हें शि हा है। मैंने तो वापरिशन वे चेयरमेन की हैियत मं श्रम मंहियों के सम्मेलन में यहा कि चुंकि ब्राइ: नहीं चलापारहे हैं इससे कर्मचारियों में भं कर इसते ह फैल रहा है। का पोरिशन की भीटिंग में इन बात के लिए एम्प्लायर और एम्प्लाइ विने शिनायत बारते हैं वि: हम पैं : देते हैं है, जिन हमें उनका लाभ नई मिलना है। इ. कि. शाय 1/ ह जो देते है वह हई दं िए, काप रेशन पूराका-पूर। खर्च करते के तै। रहे। आप **ाइ**ट मैने मेंट के लिए तैयार हो जाये। रैने तो इहा तक कहा, एस पर भी राज्य के श्रम मंतियों में हरिति वर्ह हो पर्या। यह दुखद बाल है कि उस पर राज्यों वे श्रम मंहियों में सहमति नहीं हो पायी। बुछ राज्यों के अम मंतियों के कहा कि हम अपनी पूरी वैदिनेट संप्रष्ठेंगे, श्पने सुक्षिमंत्री से पूछेंगे। हमने कहा कि धाए पूछकर उल्ली खबर दीणि । चुंकि इब यह बात इतनी िगड़ चकी है इतना िर से ऊपर पानी आ गया कि इसमें विल्वल शब इंत ार नहीं किया जा सकता श्रीर पिछली कार**पोरेशन** की मीटिंग में, मैं जब प्रि गइड कर रहा था, लोगों ने बैंडे ही कठोर शब्दों में कहा कि या तो कारपोरेशन सारे अपने हास्पिटल्स की ब्यवस्थ इपने हाथ रे ले ले और नई तो एस. शाई. कारपोरेशन के बंद गरे। मैंने राज्य सरकारों को विखाई कि कार्योरेशन सारे कारपोरेशन के अस्पताला और डिस्पें-प्ररियों की व्यवस्था स्वयं करना जाहती है और कारपोरेशन को वह भी कंटी ब्यूट करना चाहते हैं, वह उसको यह सेवा चाहती है, लेकिन ग्रभी तक उसका उत्तरहरे प्रप्त न**हीं** हुआ। बर्योकि जो एक्ट है उसमें एंक प्रतिहान है, इतेबलिंग प्राविधन है कि कारपोरेशन उसका टेक छोबर कर सकती है. यह इनेबलिंग प्रविजन है, लेकिन राज्य सरकारा को हमने अवतर दिया है, उनते पूछ है। यह भी कहा गया है कि आपसे हम पैसा नहीं लेंगे। उनको दो-दो बार कहा है, श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में कि क्या व्यवस्था है, धाप स्वयं जाकर देखें। उसके बाद भी ग्रगर नहीं होगा तो इस एक्ट में यह शक्तिया प्रदत्त हैं कार-पोरेशन को कि वह उसका इंतजाम ले सकती है और इसको दण्डि में रखते हुए कि नेना

Bill. 1989—Passed

[बी विदेशवरी दुवे]

पड़ तथा है, सक्षेत्रको कारवोरेगन का इसो सन्धार कारता है। नै निस्तास ने कर्ता करता है कि इस्ते राज्य और केन्द्र के गांगी का कोई बाज नहीं है। यह कार-पोरेना एक एसीना कारपोरेमन है। जी-जो गिनित प्रदत की है कोस्टिट् गिन ने राज्य तरहारों को ब्रोर केन्द्र तरहार की, उत्तरं होई इंटर कियरें। का प्रानहीं आता। कास्टिर्मान में यह शक्ति नहीं दो नई है कारपोरेयन में, इनलिए अगर इनको ले ले कारवोदेशन जिल्हा पुरा नाम रिकॉरग एक विडिवर कारपोरेगन करती है, रिकरिंग का स्टेटन देतो : है तो उनसे राज्य नरकारों को . भीर केन्द्र सरकार के जो कांस्टिड्यूगतल पावर्त हैं, या जो उनके तबत्र हैं, या को-शारेटित फेडरेंदिनम का जो कांगेप्ट हैं जा । एक पाता यत्राव नहीं होता। (व्यवधान)...

कुमारी सईवा खातुन (मध्य प्रदेश): भारतदर, में जातक निर्मे एक विनट ल्यो विके यह नालूम परने के लिए कि ई० एन० थाई० के जो प्रिन्टिस हैं. चार्च नेवस में ही जरदार का प्रावधान है उनमें नातक । पूछ 10 परनेंट उसी दीन के प्रति वाले, तो कि दूरि प्रशासन गहाने । कि ई० एका ई० तास्टिल है, प्रशिषाद्य है जो के खोगों का बो कम में कम 10 वैंड प्राव उसी बोन के लोगों के लिए जनक्य कर सकते हैं ?

भी बिन्देश्वरी वुबे जहाँदग, तह अनम वात है, यह इसत संबंध नहीं रखना है।

उत्तरहाल महोद्य, कुछ वातों को लीर जवी हुई तिने ति वेचे में हम समनते हैं कि जुछ तो ठीक है जैकिन कुछ में गवत फहती भी है। जैवा कि एक मैक्सन की विनेत चर्चा तभी वहां हो की कि वह एक तथा प्रीविनों कर रहे हैं कि हम उनकी निकति वैतिकिट नहीं देंने अगर वह हड़नाल गर होंगे। मेरा घ्याल है कि इन संबंध में समन जो ने जो बान कही, उनमें, वात नहीं है। इाफ्टिंग में भी गनती नहीं है वैतिन कुछ कर्क्पूनन बोड़ा सामैदा हो गया। दरमनल बात

यह है कि हम नहीं कहते कि किसी स्ट्राइक में अगर कोई बीम र पड़ तो उनका हम आते अस्ताल में इला नहीं करेंगे, उनमें हम निर्फ यह कहते हैं कि जो उनको कैंग बेतिफिट किनैन की या इंटी बेनिफिट है, यह हम नहीं देंगे। जो कानूनी हड़नाल है उनकी बेजेंग भी मिननी है, यह बात नहीं है।

श्री दीपेन घोष: लाक अ उट में बना होगा?

श्री शिक्षेश्वरी हुवे: श्रीमन, अभी तक का जो निद्धां। है, वह है नो वर्ड नो पें। यह आप जानते हैं। यह बाइ एपी मिट है जहां हड़ताल का पैणा मिनता है। सवाल यह है कि अगर वह बीमार हो जाए तो जान इलान का इंत मि हम बारेंगे, लेकिन जो इंजुरी का कैंग बैनीफिट हम देते हैं तो वह जब काम पर आते हैं और ज इंजुरी होनी है जाने फान की हिंगों है जाने की किंगों की हिंगों है या वह सार पान हों लो है जाने की सार का होती है या वह सार पान है तो उनक परिवार वालों को वैनिकिट मिनता है।

SHRi DIPEN GHOSH; Previously, it was-If he works ar.d receives Svages. Now you have propose[^] the amendment: If he is on leave or on holiday and receives pay/wages_ he will be entitled to temporary disablement benefit, but while on strike he will not get. Why; What is the concept?

श्री जिन्देश्वरी पुत्रे: उत्तनभाष्ट्रपक्ष महोत्य, श्री दोपेन बोष जी भी श्रीमओं के नेता है और हिमायती हैं, मझे भी सेवा करने का अवसर मिला है

श्री दीपेन घोष: छुट्टी पर बैठ जाएं में तो डिजिया का पैपा मिलेगा, लेकिन हड्ताल पर होंगे तो नहीं मिलेगा?

श्री विन्देश्वरी वुबे: इनको भ्रीरत रखना चाहिए, जिस बान की चर्चा में नहीं करना चाहना था, रीपेन घोष जी ने मुझे मनबूर कर दिया है कि मैं इसकी चर्चा करूं। इसलिए जिनके वे नेता उनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहना था लेकेन इनका इतना भिसपून हो रहा है इस 301

लिए करना पडा। स्टाइफ के एक दिन पहले डाक्टर को **ड**राकर लिखना लिया कि स्ट्राइक के पहले दिन रात को व बीमार पड़ते हैं और ऐसे बीमार पड़ते हैं कि 20 दिन आराम करने की जरूरत है और 20 दिन हड़ताल है। हड़ताल की नोटिस दी हुई है कि 12 तारीख ते °हड़ताल होने बाली है और 11 की शाम को जाकर लिखवा लिया कि वीमार है। तो अपने देश की सामाजिक परिस्थिति आप जानते हैं, उन र आप धनजान नहीं हैं। तो उनको इंग्यूरी या डिसेंबलमेंट का बैनीफिट जो दिया जाता था उसका मितपूज हो रहा है। इसको रोकने के लिए यह किया गया है। मैं इसको नहीं **कहना** चाहता था लेकिन दोपेन घोष जी ने हमको मजबूर किया । हम चाहते हैं कि माद्रों को पूरी सुविधाएं भिलें, उनके लिए में सबद्धा करने को तैयार हूं, लेकिन में यह भी चाहता हूं कि मजदूर ईमानदार रहें, हम यह भी चाहते हैं कि **संजदूर** जनको दी जाने वर्गले सुविधा**एं** वेईनानी सेन सें।

SHRI DIPET^ GHOSH: Wiil you agree that on the eve of declared strike no medical certificate will be entertrained

ं**शी विस्वेश्वरी धवे :** उराक्षाध्यत महोदर, इंटरपर्णस की रोला नागु, यह इचित नहीं है।

SHRI S VIDUTHALAI VIRUMBI: Hon. Minister says, workers are 'dishonest.

SHRi DIPEN GHOSH. On the eve ol declared strike no medical certificate will be entertained. If he wants to plug the loopholes of misuse he can do it in a different way.

श्री बिन्वेश्वरी दुवे : यह इसी निए निधा गया है कि इनका सिल्यू ने हो। हम इग बात का विश्वा दिलाने हैं कि इस वित की नारी अमेडमेंट्स को मैंने खब माइन्टली देखा है।

श्री दीपेन घोष : लाक्साउट के बारे में क हिये।

श्री बिन्देश्वरी दुवे. काई ोना प्रोवि 'न नहीं रहतादन ह ितन में दूरों का कोई अहित. हो । ग्राम जो यह चाहते हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भे कर और देर करें तो मेरा विनम्न सुझाव होगा कि आप इ.की बिल्तुल एक दिन भी देर न की ए। आ जो स्थित है उस में परिवर्तन करना रहा अवश्वक है। आप देर करने की सोच सकते हैं, एसके पीछे नि:स्वार्य हो तकता है। हम इनको चाहते हैं कि एक दित इसमें देर नंकी जाए। यह पालिजामेट झाज ही पास करे अगर श्रमिकों के साथ सहानमृति रखते है। मैं समझता ह रखते हैं।

Insurance (Amdt.)

Rill 10RO Pni»i>J

यह एक कम्परीहैंिव विख है। इसमें ितनी भी खामियां या सपहाल्स हो सकते हैं भिना कारपोरेशन की फक्श-निग में कठित ई हो सबती थी उसको दूर करने की कोशिश की है। मैं एक बात बताता हूं बाक्टर्स की इप्टर्टेट्सेंट के बारे में। क्लास ए और क्लास बी की बार में ऐसा प्रोबी म है कि इन्टर्स की बारी अं एंटरेंट व्योव्यक्ती के ध्रु होंगी। हमारे यहां युनियन दैरेटरी बिल्ली में धास्तालों को का उपोर्शणन स्वीतं चलाति। हैं। धावटर्ड की विकेटर्डा के सारे में धी ब्रहाना चाहता हूं ि इतके पूर्व के ताल में 82 बैकेस्रीय यों । इतक पहले मुपी प्रसंसी की एपांटिसट के लिए भेजा गया था। इसमें साल, डेब साल खब जाता है और इस दौरान भाम लो 40 वैक्तिसी होती हैं तो दोन्चार और बढ़ वार्वेगी। इतनी वैक्ती परी नहीं जायेंगी तो रोगि में के साथ की सन्याय कर पार्वेगे । जिसने पैसा दिया है, जिसने कंटरीव्यूट किया है उसके साथ उचित स्याय नहीं हो पाता । स्टेट गवर्नभेंट्स का भी यही हाल है। मैं बंगलीर गया था तो 500 वैड वाले होत्पीटल में गया था। जब वार्ड में जा रहा था तो वहां हल्ला हो रहा था। री नल डाय-रेक्टर को कुछ लोगों ने घेर लिया था। मझे समझ नहीं श्रा रहा था कि हल्ला क्यों हो रहा है। उसको मारने वाले थे। मैंने स्परिन्टेंडेंट से पूछा कि यह क्या बात है। उन्होंने बताया कि 36 वैकेन्सीज को भरने के लिए हमने एक साल से [श्री विदेश्वरी दुवे]
हैल्थ डिनाटंगंट को दिना हुआ है । अब बताइमें हम बना करें । डायरेक्टर ने कहा कि हम तो फाइल बढ़ाये हुए हैं। पिल्लक सिंवन कमीशन से जब आयेगा तो कुछ होगा । हम बना कर सकते हैं। इस कठिन ई से मुक्त होने के लिए अगर हम सारे इंत नामात अपने हाथ में लें तें, हमारे से मतलब कारपोरेशन सारे इंत नामात ले लें, एक प्रोबी न डाक्टरों के बारे में इनमें दिया हुआ है कि मेहिकल आफिनर्स की रिक्टरेमंट कारपोरेशन स्वमं करेगा । उनको यूपोएससी के परवम्न त निकाल दिया । उनको बड़ी प्रटोनोनी दी गी है।

श्री दीपेन घोष: अन्ते आदमी को काम देने की चुविबा हो जायेगी।

श्री बिन्देश्वरी युवे : हम कोई मारी जिन्दगी हो यहां बैठे नहां रहेंगे ।

श्री दीपेन श्रोख: आज नहीं, कारपोरेशन देंगे।

श्री विन्देश्वरी बुबें नह तो आपका दिमाग है। ि। कि जै। चश्मा है उसको जै। ही दोखता है। िश्तका जैस। भाव है उनको बैसा ही दोखता है दीपेन घोषं जी की दृष्टि साफ है...

SHRI DIPEN GHOSH: When Government is trying to strengthen the UPSC, he is taking the appointments right out of the purview of UPSC.

उपसमाध्यक्ष (श्री मीर्जा इशदिवेग) ह इन्होंने कहा है कि आवकी दृष्टि वाफ है।

श्री विन्देश्वरी बुधे: उपनभाव्यक्त जी, सीपेन घोष जी का दिल और दिमान सक् साफ हैं। मैं कह सकता हूं कि अपनें भी सीफ हैं। चपमा भी ठीक ही लगा हुआ है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ-साथ लैन नहीं बदला गरा। वह पुराना ही दिखाई पड़ रहा है।

श्री दीपेन घोष: उम्म के लाध-पाथ प्रापका उश्मा क्लर्ड हो गया है । उम्म व इती गयी और चश्मा क्लर्ड होता गया । श्री बिन्देश्वरी बुबे: उम्र बढ़ने के साथ-साथ मेरा लीत भी बदला गया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सीजी इशविवेग) । नजरें बदली तो न रिया भावदला।

श्री दिग्वेश्वरी दुवे : उपसभाव्यक्ष महोदय, ऐसी कई बात नहीं हैं लिर्फ यह होस्पिटल्ज की बदइंत**ा**मी का एक कारण यह या कि डाक्टरों की भयंकर वेकेन्सीन भरी नहीं जा सकी थी, फिल अप नहीं कर सके। इनित्ये ये पावर्ष से लिये। उसमें जो बेनिफिट देने की पवर्त हैं, कवरे इहाने की प वर्ष हैं और रक्तम बढ़ाने की पावर्ष हैं, हर ची। के लिये एम्डमेंट के लिये जाना यहता था । इत एमें डिग विल वे: जरिये कारपोरेशन के सरूप के जरिये बार लोंगे । ग्राप जानते हैं कि एक हतर से 16 सी हुआ तो 1984 में एमेंडमेंट के लिये ाना पढ़ा और 16 सी पे .25 सी करेंगे तो उसके लिये भी एमेंडोंट के लिये ाना पहेंगा। रो : रो : इन एरेडपेंट को हमने बदला है। लोगों के वेजें तो बढ़ते का रहे हैं। अब कबरेग बढ़ाने के लिये, बेलिन फिट बढाने के लिये फ़रा फीस कर देंगे । हम बेनिफिटस भी बढाना चाहते हैं । ई.एम. अई. के होस्टिन में हम चाहने हैं कि वे एक मॉडल, एक उदाहरण, प्रत्त कर सकें। और सबसे ज्यादा नीह बेस्ड, एक रोगी को स्वस्थ होने के ियं, अच्छी तरह ने नीरोगी होने के लिए गुनियारों दे सने और उनके निये तिना सर्चा देना पडे**ग**। वह देना चाहिये और कारपोरेशन देगा, ऐना मैं एस्वोर करना चाहता हूं। इन लिए उसको हम रूला में एखना चाहते हैं । आ । एवट को में डॉट करने की जरूरत पड़ी। इ िये मैं कहना चाहता हं कि यह अच्छी नीयत से लाया गना है। इनको संदेह की नार ने नहीं देखना चाहिये। हर बात को संदेह से देखना ठीक नहीं है। हर बात के ऊपर संदेह करने से संदेह की प्रवृत्ति इनी बढ़ गती है कि परिवार के लागों पर भी संदेह होने लगता है, अपने बीबी-बच्चों पर संदेह MLi;

हो जाता है ग्रीर स्वयं ग्रंपने ग्राप पर संदेह हो जाता है ग्राँर वह घातक स्थिति हो जाती है। हमारी भान्यता है कि विश्वास संविश्वास बनता है। इस्किये जब तक गेरे पास कई स्पष्ट प्रमाण न हो तब तक मैं किसी को ब्रा नहीं कहता...(स्थवधान)।

श्री दिपेन शोध : अध्को तो कमीशन मिलता है...(व्यवधान) ।

श्री विदेश्वरी वृत्वे : उपरभ हरक्ष महोदय, व मी भन लेने अंद देने का तरीका तो इनको ही माल्म हंग। दिदेण्यरी दुवे के बारे में तो आहे तक ऐसी बात कही ही नहीं गई है। मैं इस िए कांग्रेस में हुनि मैं मानरा हूं कि आ देश में किनी भी संस्थाये हैं उनमें वह सवा अच्छी है, पीवत है और सबार ज्यादा बन-हिर्नेषा है। आप भी 1977 है 1980 हक रसा में रहे, उस वक्त आपने श्रमिको की चिता क्यों नहीं की, आप एमेंडमेंट क्यों नहीं लाये । इनिष्ण आप ये बाते सत किंछ्। हम ग्रांद आपको ऐसे मास्ली में जहां लोगों के बेरुफेयर की बार हो उसमें राजिति नहीं लानि चहिये। मैं यह भी कहना चाहता है वि इसमें बिसी का दोप नहीं है। लेकिन यह कहा गया है कि देर करने की आदत है। हमारे श्री चतुरानन जी के साथ रावनीतिया सतभेद हा सवते हैं, होविन में पुराने देख यूनि निस्ट हैं। कहीने कहा कि बहुत देर हो चर्का है. कियट बामेटी में जाने से और देर हा नायेगी। इ लिए उन्होंने कहा कि जो विटियां हैं जनको दूर कर दिया जाये, हेविन **उसको** पास बार दिया गाथे। यह एक धच्छी नियत है । कहा गया कि 25 सी कर रियें जायें। लेकिन हम तो कहते हैं कि 25 सी से ज्यादा भी कर सकते हैं । तनध्याहें तो बढ़ती रहती हैं । लेकिन उसके लिये फिर उमेंडमेंट साम. पहेगा । सै यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस विल के पारित होने वे टाट 16 से बा क्यल बादरेल है, उसको हम 25 सी करते ज. रहे हैं। इसमें हमें देरी की शामना होती

। लेकिन यह 25 संभी रहने वाला नहीं है। यह परिस्थितिया के साथ बदलता जाता है, लग वे परि-· श्रमिक बदलते जाते हैं। इन्हिये म बेिफिट बढ़ने के लिये, कवरेण बढ़ने के लिए संशोधन लाये हैं अंद इसि ये उनके रूर में रहने की बार है। इसिटिये कि कारपोरेशन का फंक्शिका ह-छ। ह । उसने िये जो शबग्रमः नार्यवाही करनेकी इक्कर थील की गई है। सरकार का नियंहण निर्म एक बात का है। सरवार यह देखेंगी विः वान्येरेशन कुछ ऐसा बार्यन वरे जिस्से इसरे जो ान्न हैं, सेदर लाज ने उस से के ई टनराव हो जायें। जैसा मैट्रेन्ट बोर्नापट की बात है। जैरा विहमने इन्ये ग्रंटर शाने वाले वारकानों में मैट्रेन्ट बेनिफट दिया बोबिन बहुत से बा खने ऐसे होंगे जो ई एर ० % हिं व वर नहीं होंगे । ग्रीर ई० स० ग्राई० से जो वबर हैं उनको हैद्देश्टि बेश्विश द्यार इन्हा ग्रीर जो नहीं बबर हो वहां न रहे क गर ऐसा वरेगे तो इस्से एक श्चसंतुलन पैटा हो जायेगा । इसलिये सरवार एक ब्राड नियंहण रहेगी और ब्राह्म क्लम प्रोम बरके उरको ध्यान में रहत्वर चलेगी । हमने यह नहीं वहा वि हम ज्यादा एस्टेबलिशसेंट रूचे करनें वें लिए बहुगे। इस हिल में बहा गया है कि एस्टेबिलिशमेंट खर्च सपदार ध्यान रहेगी वि यह बढे नहीं इरवे लिये बुक्त नाम्सं बना देशें सावि-वारपेरेशन वा मनमाने ढंग से प्रदेख-लिशमेट रूर्चन बढ जावे । लेबिन बारपोरेशन के स्टस्थ जो हैं उस मामले में जो भी फैरला वरेंगे वे उस फैरलो को लेने में स्वतंत्र होंगे । लेकिन वह जो नाम्स होगे उसके भीतर ही होगा वयोदि इस वानुस के झंटर्रत सारे इस्पलाईज की रेबिस वर्डिशस स्टर्न होती हैं। अभी तक गर सरकारी वर्गचारियों वा श्रविवारियों तनस्वाहें बढ़ती थी तो बारपीरेशन के लोगों की स्वत: नहीं बदर्त थीं । उसके बाट बाल्पोरेशन सरवार के वास पर्माप्त लेने ने लिये दर्श मीर वह लेबर हिपार्टमेंट झार फाइनेंस हिपार्ट-मेंट में जाता या कि इनका बढाया जाये

[श्री बिंदेश्वरी दुवे]

वा नहीं बढाया जाय । इसमें काफी विलम्ब हो जाता था । तो इसमें वह कहा गया कि जैसे ही सरकारी कर्म-च।रियों या अधिकारियों के वेतन में सुधार हो साइमलटनसली उनके वेतन में भी सुधार हो। सिर्फ सरकार इसमें यह देखेगी कि वहां पर इस्से वड स्केल न लागु हो और जो सरकारो कर्मचारियों का बेतन हो वही वहां भी लाग करें। में अगर इसके एक-एक प्राविजन को कहने लग् तो यह आज समाप्त नहीं होने वाला है । मैं कहना चाहता हं उप-सभाध्यक्ष महोदय कि मैंने कई-कई रोत बिताये एक-एक प्रोविजन को देखने में और कोई ऐसी बात नहीं रह गई है जिससे कोई बटि रह जाय। शैने पहले ही निवेदन किया कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती । हम इसको फिर से देखेंगे । इतने डिनों तक हम लोगों ने असंतोष रहते हुए संतोष के साथ अमेंटमेंड के लिये मेस नहीं किया । धगर आप यह कहें कि यह बात ही पूर्ण हो जाय यह मुश्किल है । इसको हम देलेंगे, आप क्या करके इतको पान कर दोलिए। दीपेन घोल से में अनुरोध पर्सना कि आपने जो प्रस्ताव पेश किया है उनको आप वापत ले लिए समदर्श के डित में कापित ने लाजिए । में विकास दिलास है कि अपर इत्से कोई वृद्धि होगी िससे कारपोरेशन के फंपानिय में कोई दिवकत होती हो या उससे मजदूरों को कोई कठिवाई पैदार होती हो, जसे कि एक सजेशन कमल जी ने दिया रिकवरी के बारे में । यह जो रिक्वरी में कठिनाई होती है इसके लिये अपनी रिकवरी मगीनरी बनाने जा रहे हैं तो क्यों नहीं आप ऐसा करते कि बैंक को कह वें कि उनको पैसा दे ही नहीं । यह सजेशन है। यह रिकवरी मधीनरी क्यों बन रही है। जैसा इनकम टैक्स कलैक्शन होता है, हालांकि उसमें भी बहुत से डिफाल्टर्स होते हैं लेकिन लोग डरते हैं । हम अपनी रिकवरी मणीनरी इसीलिये बनाने जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रयोग करके देखा है दक्षिण के 6 राज्यों में रिकंवरी के लिये अलग से सेल बनाया । राज्य

सरकारों से अधिकारी मांग लिये भीर उनका एक सेन बना दिया और कहा कि उनका पूरा खर्चा हम रोएम्ब्रेस करेंगे। व हमारे ई.एस.आई. के ड्यून को रिकवर करने में मदद करते हैं और सर्टिफिकेट वर्गरह वही इश्य करते हैं. साय ही यह भी कहा सारे इयून रिकवर करने के लिये राज्य सरकार की पुलिस को भी मदद देनी होगी ताकि वह वसूल हो तके । हमने महसूस किया कि इसमे रिकवरी अच्छी होती है। इनलिये हमने यह तय किया कि एक इंडिपिडेंट मशीनरी ई०एस०ग्राई० अधि-कारियों की बनाये जो रिकवरी के काम में क्यों कि राज्य सरकारों के ऊपर रिकवरी के लिये कई तरह के प्रेशर होते हैं। लैंड रेबेन्य की रिकवरी है,

5.00 F. M. कोश्रापरिटव की रिकवरी करती

है। ग्रीर मैं राज्य सरकार में भी रहा हं, कलेक्टर्स पर इतना लोड होता है कि वे सारी चीजों को कर नहीं पाते है। यरणीयक विलाभव हो। जाता है। हम लोगों ने इसलिए प्राविडेंट फण्ड एक्ट में क्रमेंडमेंट किया था इसी पालियामेंट से, इंडिपेंडेंट रिक्वरी मशीन बताबी श्रीर चनका फायदा हुना है। मैंने देवा है जिसकी, यहराई से देखा है । इका फाल्या हवा है। 110 करोड़ ईक्टन आई० का स्पन है, बात ठीक है। बहां 2300 करोड़ वसून किया है वहां 116 करोड़ का ड्यूब है। हम जानते · हैं कि इंडिपेंडेंट रिक्**बरी** मशीन बनायेंगे और जो पेनाल्टीज के प्राविजन्त हैं जनको स्टिन्जेंट करेंगे तो भी स्थिति न्छ और सुधरेगी लेकिन जो अभी 116 करोड़ का डय है वह ऐसा नहीं है कि मालिकों ने नहीं दिया । कई जगह ऐसा हुआ है कि फैक्टरी बंद हो गयी है। फैक्टरी बंद हो गयी है और फारमल डिक्लरेशन क्लोजर का नहीं हमा है। ऐसे ही कुछ दिन तक लाक आउट किया । स्टेटः गवर्नमेंट से पर्रामणन लेंनी चाहिए । परिमशन भी नहीं ली और स्टेट गवर्नेवेंट श्रोसीनयट कर रही -है, मालिक अनदेसेब्ल हो गया तो 48 करोड बाकी हैं। जो फैक्ट्री बंद है उसका पता ही नहीं लगता है कि किससे वसुलें। तो कई कठिनाइयां इसमें हैं।

Bill, 1989-Passed

लेकिन एक सुझाव हैं क्रीर उस पर हम मशोनरी... (व्यवधान)

SHRI DIPEN GHOSH; Mr. Minister, just one second.

VICE-CHAIRMAN MIRZA IRSHADBAIG): Let him finish the reply.

SHRI DIPEN GHOSH: How are you going to tackle a defaulting employer? Vou may punish them because of the default committed by the employer but the workers stand to lose. Tha workers do not get the benefits during the defaulting period though they give the contribution.

श्री बिन्देश्वरी युवे: उपसमाध्यक्ष महोदय, उनको इनकी जानकारी नहीं हैं। डिफाल्टिंग पीरियड में कोई वर्कर ल ब नहीं करता है।

श्री दीवेन घोष: उन पर रेस्ट्निशन

श्री विस्वेशवरी दुवे : लाक संस्टट करके मीलक भाग भी वाये ... (क्यबंबार) वो भी द्रणाहरी । को हम सारी फी रलिटीय और नारे वेनीफिटन इन्हीरपुढ कर्ने हैं। हमसे पड़ आसातरी ले ले जीर वे अपनी धारत से गाव्य हैं, में अपने अन्तर से यज्यर हैं। जनकी जावत यार-दार हो ने की है श्रीर मैं क्यों टोवका ही वहीं किसी को। कोई बोलता है तो मैं कहता हूं कि बाल सें हमको भीका कार्यना तो हम पदाव दे देंथे। इपानिए में योल्ड नहीं कर रहा हं । बांकी उनकी शादंत है कि दस क्रोदमी खड़े हैं तो खड़े उहेंगे ग्रीर बैठे हैं तो भी खड़े रहेंने । हम तो 1952 ते, उपसमाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सदस्य हैं, हमने उस मयीं को देखा है जो पूराने जमाने में लोग निभाते थे। जब ग्रामन पर सभापति या अध्यक्ष खड़े हो जाते थे तो जैसे लगता या कि सांप संघ गया है, सारे लोग... (व्यवधान) मांत रहते ये, क्या मर्याटा थी... (व्यवधान) VICE-CHAIRMAN (SHRI

IRSHADBAIG): Let him finish bis reply.

SHRI DIPEN GHOSH: He has commented that I नाग विचार करेंगे । लेकिन रिकाबरी do not know, i want to quote from his progress ^TV report.

> इन्होंने नहीं ₹, (व्यवधान)

श्री बीपेन घोष : उन्होंने बताया कि मुझे जानकारी नहीं है तो मैं ईवएसव्याईव की रिपोर्ट से कोट करूंगा . . . (दयवधान)

श्री बिन्देरवरी दुवे : बाप बीच में क्यों टोलते हैं। शापको बीच में नहीं दोलना चाहिए । यह बिल्कुल ही अमर्यादित हैं, अन्यालियामेंदी है ... (व्यवधान)

श्री दीपेन घोष : अपने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मै जानकारी देना चाहता हं ' (व्यवधान)

थी बिन्देश्वरी वृद्धे : उपसभाष्ट्राक्ष महोदय, अगर आदेश दें तब आप बोलें ... (व्यवधान) अगर आदेश नहीं दें... (रुपवधान)

THE MIINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OE EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRi B. K. GADHVI; When he is not yielding why are you interrupting him?

SHRI DIPEN GHOSH I am. quoting from the progress report submitted by the ESi Corporation

T Η \mathbf{E}

> श्री बिन्देश्वरी वुबे: अगर उपसभा-हयक्ष महोदय, आपको बोलने के लिए नहीं परिमट करें तो आपको नहीं बोलना चाहिए ... (ब्यवधान)

उपसमाध्यक (श्री मीर्जा इर्शाद बेग) : MIRZA अप आगे दोलिए ।

> श्री बिन्देश्वरी दबे : आपको पालिया-मेंट के नियमों का पालन करना चाहिए। हम लोग बोलते नहीं हैं। श्राप लोगो ने जिस तरह से अमर्यादित हंग से

पालियामेंट की सारी भयींदा को नण्ट करना शुरु किया है, डेमोत्रेसी को जिस तरह से बाप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रापका यह व्यवहार इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जायेगा, यह आप याद कर लें घह मैं कहना चाहता हुं . . . (ब्यवधान)

श्री दीपेन घोष: बाद में देखा जायेगा कि इतिहास क्या होता है।

भी बिवेशवरी धुवे : इसलिए जो कुछ भी अमें **ड**ेंट शाया है इस पालिया मेंट के जरिय मेरा ख्याल है कि वे सारी ब्रुटियां दूर हो जायेंगी जिनसे ई०एस० पाई॰ के संबंध में कुछ शिकायतें होती रही हैं, ई०एस०आई० वारपोरेशन की बहुत हद में जो एक स्वायत्तता मिलनी चाहिए थी, वह मिलेगी और उनकी फंग्यानिग ग्रन्छी होती । ऐसा मैं जानता हं ग्रीर इन्हीं मब्दों के साथ श्री दीपेन घोष जी से फिर निवेदन करता ह कि वे अपना अमेंडमेंट वापस कर लें नहीं तो मैं उसका विरोध करता हं ग्रीर माननीय सदस्यों को घन्यवाद देते 'हए निवेदन करता हं कि थामकों के हित में इस बिल को आज ही पास करें। धन्यवाद ।

THE VICE-CHAfIRMAN MIRZA IRSHADBAIG): NOW, j shall first put the amendment moved by Shri Dipen Ghosh for reference of the Bill to Joint Committee of the Houses to vote. (Interruption)

SHRJ DIPEN GHOSH; Sir, in view of the assurance of the Minister, I withdraw the amendment.

The amendment was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG) Now, 1 shall put the motion moved by Shri Bin-deeshwari Dubey to vote.

The question is;

That the Bill further to amen,} the employees' State Insurance Act 1948, Insurance (Amdt.) Bill, 1989-Passed

b_e taken into consideration.

The motion was adopted,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG). Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 26 were added to tha Bill.

Clause 27 (Amendment of section 70)

SHRI BINDESHWARI DUBEY: Sir, I beg to move:

1. That at page 14, /or lines 27 to 29, the following be substituted, namely: —

Amend, ment sections 68 and 70

> "27. In sub-eection(2) of section 68 and sub-section (3) of section 70 of the principal Act, the following shall be added at xhs» end name-ly:-

*o_r under section 45C to section 45-

This is a consequential amendment.

The quesion was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG).- Now, I shaw put clause 27, as amended to vote.

The question is

That clause 27, as amended, stand part of-the Bill.

The motion was adopted.

Clause '27, as amended, was added to the

Clauses 28 to 47 were added to the Bill.

Clause 1. the Enacting Formula and the Title were added to tht Bill

SHRI BINDESHWARI DUBEY: Sir, I move;

That the Bill as amended, be passed.

The question was put and the motion VKIS adopted.

PUNJAB APPROPRIATION (NO. 2) BILL 1989

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): Sir, 1 beK to move⁻

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Punjab for the services of the financial year 1989-90 as passed by Lok Sabha be taken into consideration.

(The Vice-Chirman, shri V Nara-yanaswamy) in the Chain

As the Hon'ble Members are aware, ttje Budget of the State of Punjab for 1989-90, was presented to Parliament on the 17th March, 1989 and a 'Vote on Account' to meet the requirements of the State Government for the first six months ending September, 1989 was obtained and the Appropriation (Vote oa-Account) Act 1989 was passed in March, 1989.

The Lok Sabha has granted the bal ance of th© Demands for Grants and has passed the connected Appropriation Bill, which is now before this House. To meet the total estimated expenditure during the current year, the Bill provides for the payment and appropriation from and out of the Consolidated Fund of Punjab a total sum of Rs. 4,952.49 crores (Interruption)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRi V. NARAYANASAMY); Mr. Dipen Ghosh, the Minister is on his legs. Kindly take your seat, (interruption)¹...

SHRI KAMAL MORARKA; The Minister being on his legs is nothing. If the Chair is on the legs (Inter rwptions)

THE VICE-CHAKRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY); The hon. Ministerison his legs.

SHRi KAMAL MORARKA; The Minister is not the Chair. I am sorry. (*Interrwations*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRHI V. NARAYANASAMY): Why not?

SHRI KAMAL MORARKA: The Minister is not the Chair. 1 am sorry.

SHRI B. K. GADHVI; What the 'Chair says is about the etiquette of the Member On the floor of the House.

SHRI KAMAL MORARKA: We do. not need any homilies on etiauette3 from the Minister.

SHRI B. K. GADHVI; No. No. 1 am saying what the Chair points out.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY). Members should not disturb when the Minister speaks. That is what J am saying. (Interruption)

SHR B. K. GADHVI: compris ing in Rs. 3272.05 crores voted by the Lok Sabha and Rs. 1680.44 crores charge[^] on the Consolidated Fund of the State and is inclusive of the sum for withdrawal eariier authorised der the Punjab Appropriation (Vote on Account) Act 1989. Sir, in March 1989 while discussing the Appropri ation (Vote on Account) Bill, House had a general discussion on the Punjab Budget for 1989-90. I do not, therefore, wish to take the time of the House by again dwelling upon the various provisions in the Budget. I shall, however, endeavour to deal with the points that may be raised by hon. Members, in my reply to the discus

The question was proposed.